

वार्षिक प्रतिवेदन
२०१६-१७



केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक संवैधानिक निकाय)

सदस्य सचिव की ओर से

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारत में चिड़ियाघरों के कार्यकरण की देख-रेख एवं उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1992 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत की गई थी। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य चिड़ियाघरों में वन्य-जीवों के रख-रखाव एवं चिकित्सा मानकों के वर्तमान स्तर को बढ़ाना है।

भारत सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, 1998 के अंतर्गत देश में चिड़ियाघरों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित किया, जिससे कि देश के वन्यजीवों के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयासों को एक्स-सीटू संरक्षण से परिशिष्ट किया जा सके। चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के अंतर्गत कैप्टिव वन्यजीवों के आवास, रख-रखाव, स्वास्थ्य देखभाल और चिड़ियाघरों के समय प्रबंधन के मानकों और मानदण्डों को सावधानीपूर्वक निर्धारित किया गया है। देश में हर चिड़ियाघर को अपने संचालन के लिए प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। प्राधिकरण नियमों के तहत निर्धारित मापदंडों के संदर्भ में चिड़ियाघरों का समयबद्ध मूल्यांकन करता है और तदनुसार मान्यता प्रदान करता है।

प्राधिकरण में एक अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य एवं एक सदस्य सचिव हैं। प्राधिकरण ने कई समितियां गठित की हैं जो प्राधिकरण को खंड 38सी, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत दिए गए कार्य-कलापों को सुचारु रूप से चलाने में सहायता करती हैं। प्रशासनिक समिति, तकनीकी समिति तथा डिजाइन पर विशेषज्ञ समूह, प्राधिकरण के नियमित घटक हैं। इन समितियों का संचालन प्राधिकरण करता है जिसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार करते हैं और सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करते हैं।

चिड़ियाघरों की मान्यता एवं वित्तीय सहायता के मुख्य कार्य के अलावा प्राधिकरण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 तथा 2 में उल्लेखित लुप्तप्राय जानवरों का आदान प्रदान भी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38आई के अंतर्गत नियंत्रित करता है। भारतीय तथा विदेशी चिड़ियाघरों के बीच जानवरों के आदान प्रदान को भी प्राधिकरण आयात निर्यात नीति तथा CITES परमिट को ध्यान में रखते हुए मंजूरी देता है। प्राधिकरण चिड़ियाघर कर्मियों में क्षमता निर्माण तथा प्रजनन कार्यों की योजना का समन्वय भी करता है। प्राधिकरण एक्स-सीटू अनुसंधान को इन-सीटू संरक्षण उपायों से भी जोड़ने का काम करता है।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस वर्ष के दौरान प्राधिकरण के कार्य में पारदर्शिता लाने तथा स्वच्छ भारत अभियान को प्रभावी करने की दिशा में विशेष प्रयास किए हैं।

वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता तथा औपचारिक अभ्यास है। वार्षिक प्रतिवेदन, प्राधिकरण द्वारा, वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए क्रिया-कलापों की एक झलक प्रदान करता है। यह माननीय संसद सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं उनके द्वारा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह चिड़ियाघरों को भी प्रसारित किया जाता है तथा आम जनता के लाभ के लिए जनता ज्ञानक्षेत्र (डोमेन) में भी रखा जाता है।

प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखा परीक्षित खाते तैयार हैं जिन्हें केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक समिति तथा तकनीकी समिति की अनुशंसा पर अनुमोदित किया गया है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के शासी निकाय तथा विभिन्न समितियों के विशेषज्ञ सदस्यों को मार्ग-दर्शन के लिए कृतज्ञता से आभार प्रकट किया जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में योगदान तथा सहायता के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में कार्य कर रहे, प्रत्येक कर्मी का आभार प्रकट किया जाता है।

डॉ. डी. एन. सिंह
सदस्य सचिव,
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.0	प्रस्तावना	1
1.1	दृष्टि	1
1.2	लक्ष्य	1
1.3	उद्देश्य	1
1.4	कार्य	1-2
2.0	शासन	2-3
2.1	अधिशाली निकाय	3-4
2.2	प्रशासनिक समिति	4-5
2.3	तकनीकी समिति	5-7
2.4	चिड़ियाघरों की संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह	7-8
3.0	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का पुनर्गठन	8
4.0	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य	9
4.1	तकनीकी मूल्यांकन और चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करना	9-18
4.2	31 मार्च, 2017 तक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची	19-23
4.3	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	23-25
4.4	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चिड़ियाघरों द्वारा वन्य प्राणियों का विनिमय / स्थानांतरण	25
4.4.1	भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य कैप्टिव वन्य जीवों का विनिमय	25-30
4.4.2	भारतीय चिड़ियाघरों और विदेशी चिड़ियाघरों के बीच विनिमय	31
4.4.3	बचाए गए वन्यजीवों को चिड़ियाघरों में रखने की अनुमति	31
4.4.4	अतिरिक्त मगरमच्छों को जंगल में छोड़ने का प्रस्ताव	32
4.5	वन्य प्राणी वंशावली का रख-रखाव	32-35
4.6	चिड़ियाघरों की उन्नत नियोजन प्रक्रिया	35
4.6.1	मास्टर प्लान	35
4.6.2	मास्टर (ले-आउट) प्लान	35-36
4.7	अन्य	36
4.7.1	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता	36
4.7.2	सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भुगतान करने तथा प्राप्ति के लिए गैर-नकदी प्रणाली	36
4.7.3	स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन	36
4.7.4	उपयोगिता प्रमाण-पत्र	37
4.8	भारतीय चिड़ियाघरों में वन्यजीवों की वार्षिक सूची (2016-17) का प्रकाशन	37
5.0	मानव संसाधन विकास	37
5.1	प्रशिक्षण / कार्यशाला / संगोष्ठियां	37-38
5.2	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	38-39
6.0	अनुसंधान एवं शिक्षण	39-40
7.0	प्रकाशन	40
8.0	चिड़ियाघरों को वित्तीय अनुदान	40-41
8.1	चिड़ियाघरों का सुधार	41
8.2	बचाव केन्द्रों को अनुदान	42
9.0	वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	42
अनुलग्नक:- 1 अनुसूचियों सहित वार्षिक लेखे और वित्तीय विवरण		43-73
अनुलग्नक:- 2 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से अलग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन		74-78

1. प्रस्तावना

भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने देश में चिड़ियाघरों की स्थापना एवं रख-रखाव के लिए विस्तृत अध्ययन करने के लिए 18 नवम्बर, 1972 को नई दिल्ली में आयोजित अपने नौवें सत्र में चिड़ियाघर के संबंध में विशेषज्ञ समूह के रूप में अपने चिड़ियाघर विंग का पुनर्गठन किया। चिड़ियाघर संबंधी विशेषज्ञ समूह ने जून, 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे बोर्ड द्वारा नवम्बर, 1973 में स्वीकार किया था। रिपोर्ट में एक केन्द्रीय एजेंसी (चिड़ियाघर अनुदान आयोग) स्थापित करने तथा इसे लागू करने की सिफारिश की गई थी, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को 1991 में एक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में एक पृथक अध्याय, अध्याय-IVA, धारा 38A से 38J का समायोजन किया गया था। इसके अनुसार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में की गई।

1.1 दृष्टि

चिड़ियाघर में पारिस्थितिक तंत्र आधारित प्राकृतिक बाड़ों में स्वस्थ वन्यजीव होंगे, जो सक्षम एवं अनुभवी कर्मचारी, अच्छे शिक्षण एवं व्याख्यात्मक सुविधाओं, लोगों के समर्थन एवं स्वतः दक्षता के साथ इन-सीटू संरक्षण में सहायक होंगे।

1.2 लक्ष्य

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का लक्ष्य प्रबंधन की उत्कृष्ट परम्परा के माध्यम से उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए भारत में चिड़ियाघरों में रखे गए वन्य जीवों की बेहतर स्वच्छता एवं चिकित्सा देखरेख प्रदान करना तथा लोगों के बीच इस संबंध में शिक्षा एवं जागरूकता लाना है।

1.3 उद्देश्य

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य हैं:—

क. भारतीय चिड़ियाघरों में वन्य जीवों की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए न्यूनतम मानक एवं दिशा निर्देश लागू करना, और

ख. अति अनियोजित एवं बदहाल समझे गए चिड़ियाघरों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण।

1.4 कार्य

भारत में चिड़ियाघर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन विनियमित है तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, 1998 द्वारा मार्ग - निर्देशित हैं। भारत सरकार ने चिड़ियाघर मान्यता नियमावली, 1992 में तैयार की थी। इसे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की सिफारिशों पर चिड़ियाघर मान्यता नियमावली, 2009 के रूप में संशोधित किया गया था। इन नियमों में देश के चिड़ियाघर प्रबंधन के लिए मानक एवं मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण देश में चिड़ियाघरों के कार्यकलापों की निगरानी करता है तथा उनमें सुधार लाने के लिए तकनीकी एवं अन्य सहायता प्रदान करता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38सी के अधीन प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं:—

(क) चिड़ियाघरों में रखे गए जीवों के आवास, स्वच्छता एवं चिकित्सा देखरेख के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना;

- (ख) निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार चिड़ियाघरों के कार्य-कलापों का मूल्यांकन एवं निर्धारण;
- (ग) चिड़ियाघरों को मान्यता देना या उनकी मान्यता समाप्त करना;
- (घ) विलुप्त हो रहे वन्यजीवों की जातियों के संरक्षित प्रजनन के लिए उनकी पहचान करना तथा इस संबंध में चिड़ियाघर को जिम्मेदारी सौंपना;
- (ङ.) प्रजनन के उद्देश्य से वन्यजीवों का अधिग्रहण, विनिमय एवं उधार देने में समन्वय स्थापित करना;
- (च) प्रजनन के लिए रखे गए वन्य जीवों की विलुप्त प्रजातियों की स्टडबुक्स (वंशावली) का रख-रखाव सुनिश्चित करना;
- (छ) चिड़ियाघरों में रखे गए वन्य जीवों को प्रदर्शित करने के संबंध में प्राथमिकताओं एवं उद्देश्य की पहचान करना;
- (ज) भारत एवं विदेश में चिड़ियाघर कर्मचारियों के प्रशिक्षण में समन्वय;
- (झ) चिड़ियाघरों के प्रयोजनों के लिए संरक्षित प्रजनन एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में अनुसंधान तथा समन्वय;
- (ञ) चिड़ियाघरों को उनके समुचित प्रबंधन एवं वैज्ञानिक दिशा में उनके विकास में तकनीकी एवं अन्य सहायता प्रदान करना;
- (ट) ऐसे अन्य कार्यों को पूरा करना जो चिड़ियाघरों के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने हेतु आवश्यक हों।

2.0 शासन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संचालन में सदस्य सचिव को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए 19 वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं। वे नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त/कार्यरत हैं।

निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी नियमित आधार पर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में कार्यरत हैं:-

क्र.सं.	पद का नाम	पदधारी का नाम	वेतन बैंड वेतन (राशि ₹ में)
1	सदस्य सचिव	डॉ. डी. एन. सिंह	67000-79000 (एचएजी स्केल)
2	उप वन – महानिरीक्षक (मुख्यालय)	श्री गुलाब सिंह (27.12.2016 से 19.02.2017)	37400-67000 (ग्रेड-पे ₹ 8900/-)
3	वित्त अधिकारी	श्री वी. पी. मेहता (03.07.2016 तक) श्री आर. एस. रावत (04.07.2016 से)	15600-39100 (ग्रेड-पे ₹ 5400/-)
4	निजी सचिव	श्रीमती सीमा बुरेजा	9300-34800 (ग्रेड-पे ₹ 4800/-)
5	लेखाकार	श्री आर. एस. रावत (03.07.2016 तक) श्री सुरेश शर्मा (02.09.2016 से)	9300-34800 (ग्रेड-पे ₹ 4600/-)
6	डाटा प्रोसेसिंग सहायक	श्री विवेक गोयल	9300-34800 (ग्रेड-पे ₹ 4600/-)
7	मूल्यांकन एवं निरीक्षक	श्री टी. अजय कुमार	9300-34800 (ग्रेड-पे ₹ 4200/-)

	सहायक		
8	तकनीकी सहायक	श्रीमती नताशा एस. वशिष्ठ	5200-20200 (ग्रेड-पे ₹ 2800/-)
9	अवर श्रेणी लिपिक	श्री ठाकुर दास	5200-20200 (ग्रेड-पे ₹ 2000/-)
10	मल्टी टाँस्क स्टाँफ	श्री पी. के. झा	5200-20200 (ग्रेड-पे ₹ 2000/-)
11	मल्टी टाँस्क स्टाँफ	श्री गोपाल स्वामी	5200-20200 (ग्रेड-पे ₹ 1900/-)
12	स्टाँफ कार चालक	श्री हरी सिंह भण्डारी	5200-20200 (ग्रेड-पे ₹ 2800/-)

निम्नलिखित पदों पर बाहरी स्रोत के आधार पर कार्यरत है:-

क्र. सं.	पद का नाम	कर्मियों की संख्या
1	मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी	एक
2	वैज्ञानिक अधिकारी	एक
3	उच्च वर्ग लिपिक	एक
4	सूचना प्रौद्योगिकी सहायक	एक
5	मल्टी टाँस्क स्टाँफ	दो
6	निजी सचिव	एक

2.1 अधिशासी निकाय

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिशासी निकाय में बारह सदस्य शामिल हैं जिसमें माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार इसके पदेन अध्यक्ष हैं। बोर्ड का मई 2014 में आठवीं बार तीन वर्षों के लिए राजपत्र अधिसूचना संख्या 1152, दिनांक 28 मई, 2014 के द्वारा पुनर्गठन किया गया था और निम्नलिखित सदस्यों के साथ सदस्य सचिव को प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया:-

1. मंत्री, अध्यक्ष (पदेन)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली
2. सचिव, सदस्य (पदेन)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली
3. वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, सदस्य (पदेन)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
4. अपर वन महानिदेशक, (वन्यजीव) एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, सदस्य (पदेन)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 5. | अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य (पदेन) |
| 6. | निदेशक,
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
बरेली, उत्तर प्रदेश | सदस्य (पदेन) |
| 7. | निदेशक,
भारतीय वन्यजीव संस्थान,
देहरादून, उत्तराखण्ड | सदस्य (पदेन) |
| 8. | श्री एस.के. पटनायक, सेवानिवृत्त, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
भुवनेश्वर, ओडिशा | सदस्य |
| 9. | श्री कार्तिकेय वी. साराभाई, निदेशक, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र
अहमदाबाद, गुजरात | सदस्य |
| 10. | श्री विवेक मेनन, सलाहकार (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट,
नोएडा, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 11. | श्री कार्तिक सत्यनारायण,
वन्यजीव एसओएस, नई दिल्ली | सदस्य |
| 12. | सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण,
नई दिल्ली | सदस्य सचिव |

2.2 प्रशासनिक समिति

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के एक उप-समूह, नामतः प्रशासनिक समिति का गठन माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमोदन से निम्नलिखित संरचना एवं विचारणीय विषय के साथ दिनांक 11.06.2014 के आदेश सं. 19-8/92-सीजेडए (खण्ड-IV)(एम)/5068 के तहत प्रशासनिक एवं बजटीय मुद्दों से संबंधित कार्य करने हेतु किया गया था:-

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. | अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य (पदेन) |

- | | | |
|----|--|--------------|
| 3. | अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य (पदेन) |
| 4. | संयुक्त सचिव (प्रशासन) (प्रभारी, सामान्य प्रशासन),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य (पदेन) |
| 5. | सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण,
भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य सचिव |

प्रशासनिक समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

(क) प्राधिकरण में पदों के सृजन और मौजूदा पदों की प्रोन्नति के संबंध में प्रस्तावों की जांच एवं अनुमोदन करना।

(ख) समूह 'ए' के पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति एवं परामर्श सेवाएं, सेवाओं/कर्मचारियों को बाह्य स्रोत पर रखने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन।

(ग) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वार्षिक बजट का अनुमोदन।

(घ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इन्हें भेजा गया कोई अन्य मामला।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की प्रशासनिक समिति की बैठक डॉ. एस. एस. नेगी, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में 29 अगस्त, 2016 को इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली में हुई, जिसमें विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और अंतिम रूप दिया गया।

2.3 तकनीकी समिति

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति का पुनर्गठन निम्न संरचना एवं संदर्भ की शर्तों के साथ माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमोदन से दिनांक 11.06.2014 के आदेश संख्या 19-8/92-सीजेडए (खण्ड-IV)(एम)/5060-67 के अंतर्गत तकनीकी मामलों में परामर्श हेतु किया गया था:-

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | अपर वन महानिदेशक, (वन्य जीव) एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. | वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य (पदेन) |
| 3. | अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य (पदेन) |
| 4. | निदेशक, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, बरेली, उत्तर प्रदेश | सदस्य (पदेन) |
| 5. | निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड | सदस्य (पदेन) |
| 6. | श्री एस.के. पटनायक, सेवानिवृत्त मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, भुवनेश्वर,
ओडिशा | सदस्य |

7.	श्री कार्तिकेय वी. साराभाई, निदेशक, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र अहमदाबाद, गुजरात	सदस्य
8.	श्री विवेक मेनन, सलाहकार (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, नोएडा, उत्तर प्रदेश	सदस्य
9.	श्री कार्तिक सत्यनारायन, वन्यजीव एसओएस, नई दिल्ली	सदस्य
10.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

तकनीकी समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार होंगे:-

- (क) चिड़ियाघर के वन्य प्राणियों के आवास, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य देखरेख के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने के सम्बंध में सिफारिश करना;
- (ख) चिड़ियाघर को मान्यता देने या मान्यता नहीं देने के लिए अनुमोदन प्रदान करना तथा नए चिड़ियाघरों के सृजन के लिए प्राप्त आवेदनों के लिए सिफारिश करना;
- (ग) वन्य जीवों की विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए पहचान करना तथा इस संबंध में चिड़ियाघर को उत्तरदायित्व देना;
- (घ) विदेशी चिड़ियाघरों के साथ वन्यजीवों का आदान-प्रदान, विदेशी चिड़ियाघरों से वन्यजीवों को उपहार स्वरूप प्राप्त करना और विदेशी चिड़ियाघरों को वन्यजीवों का उपहार प्रदान करने के संबंध में सिफारिश करना;
- (ङ) भारतीय चिड़ियाघरों के बीच समन्वित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वन्य जीवों के विनिमय प्रस्तावों को अनुमोदित करना;
- (च) चिड़ियाघर में संरक्षित वन्य प्राणियों के प्रदर्शन के संबंध में प्राथमिकताएं, संकल्पना की पहचान करना तथा मास्टर प्लान को अनुमोदित करना;
- (छ) चिड़ियाघर के प्रबंधन के विभिन्न पक्षों पर भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला एवं बैठक आयोजित करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन;
- (ज) प्राधिकरण द्वारा निधि प्रदान करने अथवा राशि देने हेतु चिड़ियाघरों से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं का अनुमोदन;
- (झ) चिड़ियाघर को उनके समुचित प्रबंधन एवं वैज्ञानिक दिशा में विकास हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना;
- (ञ) विभिन्न चिड़ियाघरों एवं अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन; और
- (ट) कोई अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इसे सौंपा गया हो।

तकनीकी समिति की कार्य-अवधि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के साथ गठन की तिथि 28 मई, 2014 से तीन वर्षों के लिए होगी।

चिड़ियाघरों में सुधार, संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण और अन्य नीति स्तर के मुद्दों के प्रस्ताव के अलावा मास्टर प्लान के अनुमोदन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति की बैठक 6 मई, 2016 (78वीं बैठक), 24 अगस्त, 2016 (79वीं बैठक), 4 नवम्बर 2016 (80वीं बैठक), 24 जनवरी, 2017 (81वीं बैठक) एवं 22 मार्च, 2017 (82वीं बैठक) आयोजित की गई थी।

2.4 चिड़ियाघरों की संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में चिड़ियाघर की संकल्पना हेतु विशेषज्ञ समूह का पुनर्गठन माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के अनुसार कार्यालय आदेश फाइल संख्या 7-5/2016-के.चि.प्रा.(ए.के.)/2464/2016, दिनांक 26.08.2016 द्वारा निम्नलिखित संरचना और विचारणीय विषयों के साथ किया गया था:-

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री पी. आर. सिन्हा,
भूतपूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एवं
राष्ट्र प्रतिनिधि, प्रकृति संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ, भारत,
सी-4/25, सफदरजंग विकास क्षेत्र, नई दिल्ली - 110 016 | सदस्य |
| 2. श्री बी. एस. बोनाल,
भूतपूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एवं
भूतपूर्व सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण,
सी-1/43, बापा नगर,
नई दिल्ली - 110 003 | सदस्य |
| 3. प्रमुख, परिदृश्य वास्तुकला विभाग,
योजना एवं वास्तुकला विद्यालय,
ब्लॉक-4, इंद्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002 | सदस्य |
| 4. प्रतिनिधि, नगर विनिर्माण इकाई (सी.सी.यू.),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
कमरा नं. 728, 7वीं मंजिल,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पर्यावरण भवन,
लोधी रोड़, नई दिल्ली-110 003 | सदस्य |
| 5. डॉ. बृज किशोर गुप्ता
चिड़ियाघर जैव वैज्ञानिक एवं
मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी,
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण,
सी-280, बीटा-I, ग्रेटर नौएडा
उत्तर प्रदेश - 201 310 | सदस्य |

- | | | |
|----|--|--------|
| 6. | डॉ. देवेन्द्र कुमार,
चिड़ियाघर जैव वैज्ञानिक एवं
वैज्ञानिक अधिकारी,
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण,
बी-83, द्वितीय तल, देना बैंक भवन,
मयूर पब्लिक स्कूल के निकट, मंगलम, आई. पी. एक्सटेंशन, पूर्वी दिल्ली - 110 092 | सदस्य |
| 7. | श्री हिमान्शु मल्होत्रा,
वन्यजीव फिल्म निर्माता / पर्यावरणविद् एवं
सदस्य, चिड़ियाघर सलाहकार बोर्ड,
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली,
सी-50, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110 024 | सदस्य |
| 8. | सदस्य सचिव,
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली। | संयोजक |

उक्त विशेषज्ञ समूह के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:-

1. विभिन्न चिड़ियाघरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मास्टर (ले-ऑउट) प्लान एवं मास्टर प्लान की जांच करना, सुधार हेतु सुझाव देना, परिवर्तन करना और (तकनीकी समिति को) सिफारिश करना।
2. विभिन्न चिड़ियाघरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित वन्य जीवों के बाड़ों के डिजाइन की जांच करना, सुधार हेतु सुझाव देना/परिवर्तन करना और अनुमोदित/अस्वीकृत करना।
3. विभिन्न चिड़ियाघरों के लिए वन्य प्राणियों के बाड़ों के डिजाइन के लिए मानक एवं मानदंडों संबंधी सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में चिड़ियाघर डिजाइन के विशेषज्ञ समूह की बैठक भारतीय चिड़ियाघरों में निर्माणाधीन लुप्तप्राय प्रजातियों के बाड़ों के डिजाइन को अनुमोदन देने तथा चिड़ियाघरों के मास्टर (ले-आउट) प्लान तथा मास्टर प्लान के अनुमोदन की अनुशांसा करने हेतु 09 सितम्बर, 2016 (68वीं बैठक), 20 अक्टूबर, 2016 (69वीं बैठक), 01 नवम्बर, 2016 (70वीं बैठक), 17 जनवरी, 2017 (71वीं बैठक) और 3 फरवरी, 2017 (72वीं बैठक) को आयोजित की गई थी।

3.0 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का पुनर्गठन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में रिपीटिंग अवधि के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने श्री गुलाब सिंह, भारतीय वन सेवा को उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। इस अवधि के दौरान श्री आर. एस. रावत और श्री सुरेश शर्मा को क्रमशः वित्त अधिकारी और लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया गया।

4.0 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य

4.1 तकनीकी मूल्यांकन और चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करना

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 68 चिड़ियाघरों का मूल्यांकन किया इनमें से 5, 10, 14 और 23 चिड़ियाघर क्रमशः बड़े, मध्यम, छोटे और लघु श्रेणी के थे एवं 9 बचाव केन्द्र और 7 सर्कस सम्मिलित थे। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान मूल्यांकित किए गए विभिन्न श्रेणियों के चिड़ियाघरों की सूची निम्नलिखित है:-

बड़े श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम और स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1	असम	असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहटी	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	24.05.2016 एवं 25.05.2016
2	कर्नाटक	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूर	डॉ. डी. एन. सिंह	06.04.2016
3		डॉ. के. शिवारामा क्रन्थ पिलिकूला जैविक उद्यान, मैंगलुरु	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	07.01.2017
4		बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बैंगलुरु	डॉ. डी. एन. सिंह	07.04.2016 एवं 08.04.2016
5	तमिलनाडु	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुर, चेन्नई	डॉ. डी. एन. सिंह	29.04.2016 एवं 30.04.2016

मध्यम श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1	छत्तीसगढ़	मैत्री बाग चिड़ियाघर, भिलाई	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	19.02.2017
2	झारखण्ड	टाटा स्टील प्राणी उद्यान, जमशेदपुर	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	22.02.2017
3		जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, बोकारो	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	23.02.2017
4	केरल	राज्य संग्रहालय एवं चिड़ियाघर, थिरुशूर एवं पुत्थुर में स्थानांतरण के लिए स्थान	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	09.01.2017
5		तिरुवनंतपुरम प्राणी उद्यान	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	10.01.2017 एवं 11.01.2017
6	मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इन्दौर	डॉ. ए. के. शर्मा एवं डॉ. बृज किशोर गुप्ता	20.12.2016
7	महाराष्ट्र	वीरमाता जीजाबाई उद्यान एवं चिड़ियाघर, बाईकुला, मुंबई	डॉ. डी. एन. सिंह	16.06.2016
8		वीरमाता जीजाबाई उद्यान एवं चिड़ियाघर, बाईकुला, मुंबई (मध्य-अवधि का मूल्यांकन)	श्री अनवर अहमद, डॉ. ए.बी. श्रीवास्तव एवं डॉ. आर.के. साहू	06.12.2016
9		राजीव गाँधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव अनुसंधान केन्द्र, पुणे	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	22.04.2016
10	नागालैंड	नागालैंड प्राणी उद्यान, रंगापहाड़	डॉ. डी. एन. सिंह एवं डॉ. देवेन्द्र कुमार	27.05.2016 एवं 28.05.2016

छोटे श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर जैविक उद्यान	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	21.05.2016 एवं 22.05.2016
2	छत्तीसगढ़	नंदनवन जंगल सफारी, नया रायपुर	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	20.02.2017
3	हरियाणा	रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक	डॉ. देवेन्द्र कुमार	17.02.2017
4	मध्य प्रदेश	गाँधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर	डॉ. देवेन्द्र कुमार	12.06.2016
5	महाराष्ट्र	महाराजबाग चिड़ियाघर, नागपुर	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	26.09.2016
6		महात्मा गाँधी उद्यान चिड़ियाघर, सोलापुर	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	23.04.2016
7		निसर्गाकवि बहिनाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय, पिम्परी चिंचवाड	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	21.04.2016
8	उड़ीसा	कपिलाश चिड़ियाघर, धेनकनाल	डॉ. देवेन्द्र कुमार	24.06.2016
9		वन्य जीव संरक्षण केन्द्र, संबलपुर	डॉ. देवेन्द्र कुमार	25.06.2016
10	राजस्थान	कोटा चिड़ियाघर, कोटा	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	10.06.2016
11		सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	08.06.2016 एवं 09.06.2016
12	पश्चिम बंगाल	जंगलमहल प्राणी उद्यान, धाबानी, झारग्राम	श्री बिपुल चक्रवर्ती	27.02.2017
13		बर्धमान प्राणी उद्यान, बर्धमान	श्री बिपुल चक्रवर्ती	02.03.2017
14		मार्बल पैलेस चिड़ियाघर, कोलकाता	श्री बिपुल चक्रवर्ती	28.02.2017

लघु श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम और स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	चिड़ियाटापू जैविक उद्यान	डॉ. डी. एन. सिंह	09.02.2017 एवं 10.02.2017
2	दादर एवं नगर हवेली	वसोना शेर सफारी	डॉ. डी. एन. सिंह	16.07.2016
3	हरियाणा	लघु चिड़ियाघर, पीपली	डॉ. देवेन्द्र कुमार एवं श्री टी. अजय कुमार	05.04.2016
4		हिरण उद्यान, हिसार	डॉ. देवेन्द्र कुमार	18.02.2017
5		लघु चिड़ियाघर, भिवानी	डॉ. देवेन्द्र कुमार	18.02.2017
6	जम्मू एवं कश्मीर	लघु चिड़ियाघर, पहलगाम	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	28.06.2016
7	झारखण्ड	मगर प्रजनन केन्द्र, मूटा	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	24.02.2017
8	कर्नाटक	लघु चिड़ियाघर गेंडेकट्टे, हसन	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	05.01.2017
9		बाल उद्यान सह लघु उद्यान, बेल्लारी एवं अटल बिहारी वाजपेयी प्राणी उद्यान, कमलापुरा, होसपेट में स्थानांतरण का स्थान	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	03.01.2017 एवं 04.01.2017
10	महाराष्ट्र	सर्प उद्यान, धोलगरवाड़ी, कोल्हापुर	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	24.04.2016
11		महाराजा शाहाजी छत्रपति चिड़ियाघर, कोल्हापुर	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	24.04.2016
12		पापड़ाहांडी हिरण उद्यान, नबरंगपुर	डॉ. देवेन्द्र कुमार	27.06.2016

13		हरिशंकर हिरण उद्यान, हरिशंकर, बालांगिर	डॉ. देवेन्द्र कुमार	26.06.2016
14	उड़ीसा	कुनेरिया हिरण उद्यान, नयागढ़	डॉ. देवेन्द्र कुमार	29.06.2016
15		एच. ए. एल. हिरण उद्यान, सुनाबेदा	डॉ. देवेन्द्र कुमार	28.06.2016
16		हिरण उद्यान, कटक नगर निगम, कटक	श्री बिपुल चक्रवर्ती	16.03.2017
17		घड़ियाल अनुसंधान एवं संरक्षण इकाई, टिकरपाड़ा	श्री बिपुल चक्रवर्ती	14.03.2017
18	पंजाब	लघु चिड़ियाघर सह हिरण सफारी, बीर तालाब, जिला – भटिंडा	डॉ. देवेन्द्र कुमार	09.06.2016
19		सफारी उद्यान, हरिदास जी की मागरी, उदयपुर	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	09.06.2016
20	राजस्थान	पंचवटी हिरण उद्यान, पिलानी	डॉ. देवेन्द्र कुमार	19.02.2017
21	उत्तराखण्ड	लघु चिड़ियाघर, अल्मोड़ा	डॉ. देवेन्द्र कुमार	24.09.2016
22	उत्तर प्रदेश	शेर प्रजनन केन्द्र एवं बहु-सफारी उद्यान, इटावा	डॉ. ए. बी. श्रीवास्तव एवं डॉ. बृज किशोर गुप्ता	18.09.2016 एवं 19.09.2016
23	पश्चिम बंगाल	गरचुमुक हिरण उद्यान, हावड़ा	श्री बिपुल चक्रवर्ती	01.03.2017

बचाव केन्द्र

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम और स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1	असम	वन्यजीव संरक्षण एवं पुनर्वास केन्द्र, बोरजरी	डॉ. डी. एन. सिंह एवं डॉ. देवेन्द्र कुमार	26.05.2016 एवं 29.05.2016
2		वन्यजीव बचाव केन्द्र, गोपालपुर खेड़ा, गुड़गाँव	डॉ. देवेन्द्र कुमार एवं श्री अजय कुमार	09.04.2016
3	हरियाणा	गिद्ध प्रजनन संरक्षण केन्द्र, पिंजौर (मध्यवर्ती मूल्यांकन)	डॉ. देवेन्द्र कुमार	25.01.2017
4		चौधरी सुरिंदर सिंह हाथी पुनर्वास केन्द्र, वनसंतूर, जिला – यमुना नगर	डॉ. ए.के. शर्मा एवं डॉ. बृज किशोर गुप्ता	06.09.2016
5	कर्नाटक	पीपुल फॉर एनीमल्स बचाव केन्द्र, बैंगलुरु	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	02.01.2017
6		तेंदुआ बचाव केन्द्र, मानिकदोह, जुन्नार	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	25.04.2016
7	महाराष्ट्र	आम्टे एनीमल्स आर्क, हेमलकसा, जिला – गढ़चिरोली	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	28.09.2016
8		पीपुल फॉर एनीमल्स, बचाव केन्द्र, वर्धा	डॉ. बृज किशोर गुप्ता	27.09.2016
9	उत्तर प्रदेश	आगरा भालू बचाव सुविधा, आगरा	डॉ. डी. एन. सिंह सहायक श्री अजय कुमार	22.12.2016, 24.12.2016 एवं 25.12.2016

सर्कस

क्र.सं.	सर्कस के नाम और स्थान	मूल्यांकन अधिकारी	मूल्यांकन की तिथि
1	अपोलो सर्कस कैम्प : बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश	श्री हिमांशु मल्होत्रा	13.04.2016
2	नटराज सर्कस, कैम्प : पानीटंकी, जिला – दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	श्रीमती राधिका बोस, श्री अर्जुन मुखर्जी एवं श्री बादल देबनाथ	07.06.2016
3	अजन्ता सर्कस, कैम्प: डोमकोलहाट, जिला – मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	श्री राणा दत्ता एवं श्रीमती राधिका बोस	10.06.2016
4	एम्पायर सर्कस, कैम्प : जमशेदपुर	श्री बिपुल चक्रवर्ती, श्री अजय कुमार, श्री अरविन्द कुमार गुप्ता एवं श्री अशोक कुमार दुबे	29.06.2016
5	कोहिनूर सर्कस, कैम्प : बलुकेश्वर कैम्पस, केवनझार, उड़ीसा	श्री सुदीप नायक, डॉ. देवव्रत मोहापात्रा एवं श्री फुलई हेमब्राम	11.07.2016
6	ग्रेट गोल्डन सर्कस, कैम्प: डोंगरी ग्राउंड, गंगापुर मार्ग, नासिक, महाराष्ट्र	डॉ. संजय त्रिपाठी, श्री नंदकिशोर काले एवं डॉ. नरेश उप्रेती	12.07.2016
7	ग्रेट अपोलो सर्कस, कैम्प: ग्रेवाल चौक, मालेरकोटला, लुधियाना, पंजाब	डॉ. एम.पी. सिंह, श्री विशाल चौहान एवं श्री प्रशांथ वी.	08.08.2016
8	ग्रेट गोल्डन सर्कस, कैम्प : एल.टी. रोड, बोरीवली पश्चिम, मुंबई	डॉ. शैलेश जी. पेठे, श्री अजय देसाई, डॉ. संजय त्रिपाठी एवं श्री शेंगडे	18.03.2017

मान्यता निरस्त चिड़ियाघरों से वन्यजीवों का स्थानांतरण हेतु निरीक्षण एवं चिड़ियाघरों को पूर्णतः बंद करना

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण उन चिड़ियाघरों को, जो चिड़ियाघर मान्यता नियम के मानकों और मापदण्डों को पूरा नहीं करते, मान्यता प्रदान नहीं करता है या मान्यता निरस्त कर देता है एवं उन चिड़ियाघरों में स्थित वन्यजीवों को देश के अन्य मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों में स्थानांतरित करने तथा उनको पूर्णतः बंद करने हेतु दिशानिर्देश जारी करता है। हालाँकि, चिड़ियाघर को बंद करने तथा वन्यजीव को स्थानांतरित करने के कुछ मामले लंबित हैं। अतः, 58 ऐसे चिड़ियाघरों की वर्तमान वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए एक भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में यह पाया गया कि 58 में से 39 ऐसे चिड़ियाघर बंद हो चुके हैं और वहाँ पर कोई भी वन्यजीव नहीं है। ऐसे भौतिक रूप से बंद हो चुके चिड़ियाघरों की सूची निम्नलिखित है:-

भौतिक रूप से बंद की गई सुविधाओं की सूची

क्र. सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम और स्थान	मान्यता निरस्त / देने से मना करने की तिथि	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1	आंध्र प्रदेश	वेद विश्व विद्यालयम्, जीयार शैक्षणिक ट्रस्ट, सीतानागार्म, जिला - गुंटूर	10.08.2006	श्री टी. अजय कुमार	23.07.2016
2	छत्तीसगढ़	इन्दिरा उद्यान, पेंडरा, बिलासपुर	21.06.2005	डॉ. चन्दन	14.07.2016
3	दमन एवं दीव	हिरण उद्यान, दीव	05.02.1998	डॉ. डी. एन. सिंह	16.07.2016
4		जाम्पूर हिरण उद्यान, दमन	11.09.2006	डॉ. डी. एन. सिंह	16.07.2016
5	गुजरात	वनचेतना केन्द्र, वस्त्रपुर	29.05.2006	श्री रवि चौहान	29.07.2016
6		बालभवन, राजकोट	14.10.2002	श्री रवि चौहान	16.07.2016
7		फर्टिलाइजर नगर हिरण उद्यान, बड़ौदा	11.10.2006	श्री रवि चौहान	30.07.2016
8	हिमाचल प्रदेश	कालापुल लघु चिड़ियाघर, धर्मशाला	08.06.2005	डॉ. अनुपम श्रीवास्तव	18.07.2016
9		होटल यामिनी चिड़ियाघर, पालमपुर	08.06.2005	डॉ. अनुपम श्रीवास्तव	18.07.2016
10	महाराष्ट्र	वसन्त स्मृति मृग विहार, उमरसारा, यवतमल	31.03.2006	श्री नीलिम खैरे	11.07.2016
11		सूर्यवन चिड़ियाघर, मुंबई	11.07.2005	श्री नीलिम खैरे	07.07.2016
12		शिवाजी उद्यान, नासिक	09.09.1994	श्री नीलिम खैरे	08.07.2016
13		रानीबाग चिड़ियाघर, बुलदाना	18.02.1998	श्री नीलिम खैरे	11.07.2016
14		नेहरू उद्यान, संगमनेर	20.05.1997	श्री नीलिम खैरे	08.07.2016
15		आनन्दवन अनाथालय एवं बचाव केन्द्र, वरौरा, जिला चन्द्रपुर	20.04.2007	श्री नीलिम खैरे	12.07.2016
16		पक्षीशाला एवं प्रजनन केन्द्र, थाणे	11.07.2005	श्री नीलिम खैरे	16.07.2016
17	उड़ीसा	हिरण उद्यान, दैत्री	30.05.2006	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उड़ीसा का प्रतिवेदन दिनांक 13.07.2016	
18		चेतना केन्द्र, रिधानी रेंज, मेरठ	28.02.1996		
19		हिरण उद्यान, वायु सेना, इलाहाबाद	07.07.2005		

क्र. सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम और स्थान	मान्यता निरस्त / देने से मना करने की तिथि	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
20	उत्तर प्रदेश	हिरण उद्यान, हिंडालको उद्योग लिमिटेड, सोनभद्रा	08.12.2006	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश का प्रतिवेदन दिनांक 05.07.2016	
21		इन्दिरा मनोरंजन वन, मेहेवा	26.05.2006		
22		इन्दिरा उद्यान, बिजनौर	26.05.2006		
23		कतर्नियाघाट घड़ियाल पुनर्वास केन्द्र, कतर्नियाघाट	08.07.2005		
24		लक्ष्मण पहाड़ी मृग विहार, बाँदा	-----		
25		लिटिल स्कॉलर्स एकेडमी, अमरोहा	14.03.2000		
26		त्रिवेणी पर्यावरण उद्यान, इलाहाबाद	08.12.2006		
27		वन चेतना केन्द्र, गाजियाबाद	30.05.2006		
28		वन चेतना केन्द्र, कुमारगंज	-----		
29		वन गनोरंजन केन्द्र, रागपुर	01.07.1996		
30	हिरण उद्यान, मुरादाबाद	-----			
31	पश्चिम बंगाल	अनाथ आश्रम वन्य प्राणी विकास उद्यान, 24, परगना	27.06.1996	प्रभागीय वन अधिकारी, दक्षिणी 24 परगना प्रभाग	02.08.2016
32		बल्लवपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीरभूम	31.05.2006	मोहम्मद मजेदार रहमान	13.07.2016
33		हिरण उद्यान जो हिल, कूरसियांग	27.07.2006	श्री अरुण कुमार मुखर्जी	28.07.2016
34		ए.डी.डी.ए. हिरण उद्यान, दुर्गापुर	30.05.2006	मोहम्मद मजेदार रहमान	17.07.2016
35		गुंजन पारिस्थितिक उद्यान, असनसोल	14.02.2006	मोहम्मद मजेदार रहमान	16.07.2016
36		मदारीहाट बचाव केन्द्र	30.05.2006	श्री अरुण कुमार मुखर्जी	26.07.2016
37		रामकृष्ण मिशन विद्यालय, विद्यार्थी भवन, 24, परगना	08.07.2005	मोहम्मद मजेदार रहमान	09.07.2016
38		बचाव केन्द्र, राजाभातखावा, जलपाईगुड़ी	03.05.2006	श्री अरुण कुमार मुखर्जी	26.07.2016
39		अरण्यक प्राणी उद्यान, असनसोल	26.05.2006	मोहम्मद मजेदार रहमान	16.07.2016

अतः, अब तक केवल 19 गैर-मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर वन्यजीवों को रखे हुए हैं। यह पाया गया है कि कई अनुस्मारकों के बावजूद 19 ऐसे चिड़ियाघर, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में असफल रहे हैं। तत्पश्चात, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने संबंधित राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से अनुरोध किया कि वे वन्यजीवों के पुनर्वास तथा गैर-मान्यता प्राप्त सुविधाओं को बंद करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू करें। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालकों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार गैर मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर के संचालकों के खिलाफ अभियोजन पक्ष की कार्यवाही शुरू करने का भी अनुरोध किया जा चुका है। अनुवर्ती कार्यवाही चल रही है। ऐसे चिड़ियाघरों की सूची निम्न है:-

वन्यजीव रखने वाले गैर-मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर

क्र. सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम और स्थान	मान्यता निरस्त / देने से मना करने की तिथि	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1	आन्ध्र प्रदेश	हिरण उद्यान, तिरुमला हिल, तिरुपति	10.06.1998	डॉ. ए. मनिमोझी	11.07.2016
2	गुजरात	प्रकृति शिक्षा केन्द्र, जामनगर	13.11.2002	श्री रवि चौहान	18.07.2016
3	झारखण्ड	हिरण उद्यान, चन्द्रपुरा	13.12.2006	डॉ. मानिक पलित	15.07.2016
4		हिरण उद्यान, मैथॉन	01.06.2009	डॉ. मानिक पलित	15.07.2016
5	केरल	हिल पैलेस चिड़ियाघर, ऐरनाकुलम	27.06.2014	श्री टी.वी. अनिल कुमार	09.07.2016
6		श्री लोकनायक जयप्रकाश स्मृति वन, वलयार	02.07.2014	श्री टी.वी. अनिल कुमार	16.07.2016
7		नैय्यर बाँध, मगरमच्छ फॉर्म, तिरुवनंतपुरम	27.07.2006	श्री टी.वी. अनिल कुमार	20.07.2016
8		मगरमच्छ फॉर्म, कोझिकोड	13.11.2006	श्री टी.वी. अनिल कुमार	20.07.2016
9	महाराष्ट्र	सुरुचि चिड़ियाघर, पनवेल	07.06.2006	श्री नीलिम खैर एवं डॉ. बृज किशोर गुप्ता	26.04.2016
10		वन्यजीव अनाथालय सेमिनरी हिल्स, नागपुर	16.03.2006	श्री नीलिम खैर	12.07.2016
11		नवेगाँव बाँध वन्यजीव अनाथालय, नागपुर	15.06.2006	श्री नीलिम खैर	12.07.2016
12		प्रकृति उद्यान, कारंजा	19.07.2006	श्री नीलिम खैर	07.07.2016
13	उड़ीसा	हिरण उद्यान, बरहामपुर	12.03.2013	श्री राजेश मोहापात्रा	14.07.2016
14		नाल्को नगर टॉऊनशिप हिरण उद्यान, जिला अंगुल	मान्यता प्राप्ति हेतु आवेदन नहीं किया	संचालक द्वारा स्वयं घोषित	
15	राजस्थान	मृग वन, चित्तौड़गढ़	23.06.2005	श्री मुकेश सैनी	19.07.2016
16	तमिलनाडु	मगरमच्छ पालन केन्द्र, अमरावती नगर	16.11.2006	डॉ. ए. मनिमोझी	13.07.2016
17	पश्चिम बंगाल	बेलिलियस उद्यान, हावड़ा	12.07.2005	मोहम्मद मजेदार रहमान	11.07.2016
18		निगम उद्यान, जोगमाया, हावड़ा	08.07.2005	मोहम्मद मजेदार रहमान	11.07.2016
19		गरमंदारन हिरण उद्यान, हुगली	22.06.1998	मोहम्मद मजेदार रहमान	17.07.2016

2016-17 के दौरान मान्यता प्रदत्त चिड़ियाघर

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 2016-17 के दौरान 98 चिड़ियाघरों की मान्यता को नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार नवीनीकरण की मंजूरी दी। इनमें से 8 बड़े श्रेणी के चिड़ियाघर, 14 मध्यम श्रेणी के चिड़ियाघर, 22 छोटे श्रेणी के चिड़ियाघर, 43 लघु श्रेणी के चिड़ियाघर, 10 बचाव केन्द्र और 1 सर्कस थे। 31.03.2017 तक देश में कुल 167 (सर्कसों को मिलाकर) मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर हैं।

बड़े श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	वैध मान्यता की तिथि
1	असम	असम राज्य चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान	गुवाहटी	28.08.2019
2	दिल्ली	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	दिल्ली	05.05.2019
3	गुजरात	कमला नेहरू प्राणी उद्यान	अहमदाबाद	08.06.2019
4		सक्करबाग चिड़ियाघर	जूनागढ़	05.05.2017
5	कर्नाटक	डॉ. के. शिवारामा क्रन्थ पिलिकुला जैविक उद्यान	मैंगलुरु	23.01.2020
6		श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान	मैसूरु	06.05.2019
7		बनेरघट्टा जैविक उद्यान	बैंगलुरु	05.05.2019
8	तमिलनाडु	आरिंगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वण्डलुर	चेन्नई	23.08.2019

मध्यम श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	वैध मान्यता की तिथि
1	छत्तीसगढ़	मैत्री बाग चिड़ियाघर	भिलाई	21.03.2020
2		नंदनवन जंगल सफारी	नया रायपुर	21.03.2020
3	गुजरात	इंद्रोदा प्रकृति उद्यान	गाँधी नगर	08.06.2019
4		सयाजी बाग चिड़ियाघर	बड़ोदरा	05.05.2019
5	झारखण्ड	जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान	बोकारो	21.03.2020
6		टाटा स्टील प्राणी उद्यान	जमशेदपुर	21.03.2020
7	केरल	राज्य संग्रहालय एवं चिड़ियाघर	थ्रिशूर	23.01.2018
8		तिरुवनंतपुरम प्राणी उद्यान	तिरुवनंतपुरम	23.01.2020
9	मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर	इन्दौर	23.01.2019
10	महाराष्ट्र	राजीव गाँधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव अनुसंधान केन्द्र	पुणे	05.05.2018
11		वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान एवं चिड़ियाघर	मुंबई	23.08.2017
12	नागालैण्ड	नागालैण्ड प्राणी उद्यान	रंगापहाड़	23.08.2019
13	तमिलनाडु	मद्रास मगरमच्छ बैंक ट्रस्ट / सरीसृप विज्ञान केन्द्र	महाबलीपुरम्	05.05.2019
14		वी.ओ.सी. उद्यान लघु चिड़ियाघर	कोयम्बटूर	05.05.2017

छोटे श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	वैध मान्यता की तिथि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	जैविक उद्यान, चिड़ियाटापू	पोर्ट ब्लेयर	21.03.2019
2	अरुणाचल प्रदेश	जैविक उद्यान, ईटानगर	ईटानगर	28.08.2019
3	हरियाणा	रोहतक चिड़ियाघर	रोहतक	04.05.2019
4	कर्नाटक	कित्तूर रानी चेन्नमा लघु चिड़ियाघर	बेलागवि	23.08.2018

5		बाघ एवं शेर सफारी	शिमोगा	05.05.2017
6		चिल्ड्रेन्स पार्क सह लघु चिड़ियाघर	बेल्लारी	23.01.2019
7	केरल	पारास्सीनीक्कादावु सरीसृप उद्यान	कन्नूर	23.08.2017
8		महाराजबाग चिड़ियाघर	नागपुर	03.11.2017
9	महाराष्ट्र	निसर्गकवि बहिनाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय	चिंचवाड़, पुणे	05.05.2018
10		महात्मा गाँधी राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	सोलापुर	05.05.2017
11		कपिलाश चिड़ियाघर	धेनकनाल	23.08.2018
12	उड़ीसा	वन्यजीव संरक्षण केन्द्र	मोतीझरन, सांबलपुर	23.08.2019
13		कोटा चिड़ियाघर	कोटा	23.08.2017
14	राजस्थान	सज्जनगढ़ जैविक उद्यान	उदयपुर	28.08.2019
15		अमृद्धि चिड़ियाघर	वेल्लोर	05.05.2018
16	तमिलनाडु	चेन्नई सर्प उद्यान ट्रस्ट	गुंडी, चेन्नई	05.05.2018
17		कुरुमबपत्ती जैविक उद्यान	सलेम	05.05.2018
18	तेलंगाना	वन विज्ञान केन्द्र	वारांगल	05.05.2017
19	उत्तराखण्ड	पण्डित गोविन्द वल्लभ पंत उच्च स्थलीय चिड़ियाघर	नैनीताल	28.08.2018
20		मार्बल पैलेस चिड़ियाघर	कोलकाता	05.05.2017
21	पश्चिम बंगाल	वर्धमान प्राणी उद्यान	वर्धमान	05.05.2017
22		जंगलमहल प्राणी उद्यान	झारग्राम	21.03.2019

लघु श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	वैध मान्यता की तिथि
1	आंध्र प्रदेश	जी.वी.के. उद्योग हिरण उद्यान	जेगुरुपाडू	23.08.2017
2	दादर एवं नगर हवेली	शेर सफारी, वसोना	वसोना	23.08.2019
3	दिल्ली	ए.एन. झा हिरण उद्यान	नई दिल्ली	05.05.2018
4		लघु चिड़ियाघर, भिवानी	भिवानी	05.05.2017
5	हरियाणा	लघु चिड़ियाघर, पीपली	पीपली	05.05.2018
6		लघु चिड़ियाघर, हिसार	हिसार	05.05.2019
7	हिमाचल प्रदेश	रिवालसर लघु चिड़ियाघर	मंडी	05.05.2018
8		सरहन फीजेंट्री	सरहन	23.08.2018
9	जम्मू एवं कश्मीर	लघु चिड़ियाघर पहलगाम	पहलगाम	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से सूचना प्रतीक्षित है
10		हिरण उद्यान, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड	डोनीमलाई	05.05.2018
11		लघु चिड़ियाघर गेंडेकट्टे	हसन	23.01.2019
12		नमादाचिलुमे हिरण उद्यान	तुमकूर	05.05.2017
13	कर्नाटक	तुंगभद्रा बाँध लघु चिड़ियाघर	बेल्लारी	05.05.2017
14		इन्दिरा प्रियदर्शिनी संग्रहालय	दावेनगिरि तालुक	05.05.2018
15		हिरण उद्यान, श्री क्षेत्र सोगल, सौदत्ती	बेलगाम	05.05.2017
16		सर्प उद्यान, मालमपुझा	मालमपुझा	23.08.2018
17	केरल	कोडानाडू चिड़ियाघर	कोडानाडू	05.05.2017
18		शेर सफारी उद्यान, नेय्यर बाँध (नेय्यर लघु चिड़ियाघर)	तिरुवनंतपुरम	05.05.2018
19	महाराष्ट्र	महाराजा शाहजी क्षत्रपति चिड़ियाघर	कोल्हापुर	05.05.2017

20		डोलगारवाडी सूप उद्यान	चाँदगढ़	05.05.2017
21	उड़ीसा	हिरण उद्यान, पापड़ाहांडी	नवरंगपुर	23.08.2018
22		हरिशंकर हिरण उद्यान	बलागिर	23.08.2018
23		कुनेरिया हिरण उद्यान	नयागढ़	23.08.2017
24	पंजाब	लघु चिड़ियाघर सह हिरण सफारी, बीर तालाब	भटिंडा	23.08.2019
25		हिरण उद्यान, नीलॉन	लुधियाना	05.05.2017
26	राजस्थान	पंचवटी हिरण उद्यान	पिलानी	21.03.2018
27		सफारी उद्यान, हरिदास जी की मागरी	उदयपुर	23.08.2018
28	तमिलनाडु	शिवगंगा उद्यान लघु चिड़ियाघर	थंजावुर	03.11.2018
29	तेलंगाना	हिमायत सागर लघु चिड़ियाघर	हिमायत सागर	05.05.2018
30		करीमनगर हिरण उद्यान	करीमनगर	23.08.2018
31		पिलालमारी हिरण उद्यान	महबूब नगर	23.08.2018
32		सांघी हिरण उद्यान	सांघी नगर	05.05.2017
33		किन्नरसानी हिरण उद्यान	पालोचा	05.05.2017
34		टेक महिन्द्रा तकनीकी केन्द्र हिरण उद्यान	बहादुरपेल्ली	05.05.2017
35		सारगाथ हिरण उद्यान	वाराणसी	05.05.2018
36	उत्तर प्रदेश	वन प्राणी उद्यान, आई.वी.आर.आई.	इज्जतनगर	05.05.2018
37		विनोद वन उद्यान	गोरखपुर	05.05.2017
38		शेर प्रजनन केंद्र एवं बहु सफारी उद्यान, इटावा	इटावा	03.11.2018
39	उत्तराखण्ड	अल्मोड़ा लघु चिड़ियाघर	अल्मोड़ा	23.01.2019
40	पश्चिम बंगाल	अदीना हिरण उद्यान	मालदा	05.05.2018
41		सुरुलिया लघु चिड़ियाघर	पुरुलिया	05.05.2018
42		सुन्दरवन वन्य जीव उद्यान	झारकली	05.05.2017
43		गरचुमुक हिरण उद्यान	हावड़ा	05.05.2017

बचाव केन्द्र

क्र.सं.	राज्य	बचाव केन्द्र का नाम	स्थान	वैध मान्यता की तिथि
1	असम	वन्यजीव संरक्षण एवं पुनर्वास केन्द्र	बोरजुरी	23.08.2018
2	हरियाणा	गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र	पिंजौर	05.05.2019
3		वन्यजीव बचाव केन्द्र	गुड़गाँव	23.08.2018
4		चौधरी सुरिंदर सिंह हाथी बचाव केन्द्र	वनसंतूर	03.11.2018
5	हिमाचल प्रदेश	बचाव एवं पुनर्वास गृह	टुटीकांडी	05.05.2018
6	कर्नाटक	पीपुल फॉर एनीमल्स - बचाव केन्द्र	बैंगलुरु	23.01.2018
7	महाराष्ट्र	तेंदुआ बचाव केन्द्र	मनिकदोह	05.05.2018
8		पीपुल फॉर एनीमल्स बचाव केन्द्र	वर्धा	03.11.2018
9		आम्टे एनीमल आर्क	गढ़चिरोली	03.11.2017
10	पश्चिम बंगाल	दक्षिण खैरबारी बचाव केन्द्र	मदारीहाट	05.05.2017

सर्कस

क्र.सं.	राज्य	सर्कस का नाम	पंजीकृत स्थान	वैध मान्यता की तिथि
1	उत्तर प्रदेश	अपोलो सर्कस	बुलन्दशहर	06.05.2017

4.2 31 मार्च, 2017 तक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची

भारत में चिड़ियाघरों को चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 9 के अधीन उपलब्ध मानदण्ड (चिड़ियाघर के क्षेत्रफल, आगंतुकों की संख्या, प्रजातियों एवं वन्य प्राणियों की संख्या एवं विलुप्त प्रजातियों के प्राणियों की संख्या) के अनुसार बड़े, मध्यम, छोटे एवं लघु चिड़ियाघरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चिड़ियाघर का वर्गीकरण चिड़ियाघरों के प्रबंधन और जानवरों के आवास, रख-रखाव, पशु-चिकित्सा देखभाल के मानकों एवं मानदंडों को लागू करने के उद्देश्य से किया गया है। चिड़ियाघर को उल्लेखित श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने वाले उपरोक्त मानदंडों में से कम से कम चार मानदंडों को पूरा करना चाहिए (जिसमें कुल प्रजातियों की संख्या, कुल विलुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या तथा कुल वन्य प्राणियों की संख्या जिसमें विलुप्तप्राय प्राणियों की संख्या शामिल हो)। देश में 31.03.2017 तक 167 मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर (सर्कस को सम्मिलित कर) हैं। जिसमें से 14 बड़े चिड़ियाघर, 27 मध्यम चिड़ियाघर, 38 छोटे चिड़ियाघर, 71 लघु चिड़ियाघर, 2 सर्कस एवं 15 बचाव केन्द्र हैं।

मान्यताप्राप्त चिड़ियाघरों की सूची निम्नलिखित है:-

वर्ग	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान
बड़े चिड़ियाघर	आंध्र प्रदेश	इन्दिरा गाँधी प्राणी उद्यान	विशाखापत्तनम्
	असम	असम राज्य चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान	गुवाहटी
	बिहार	संजय गाँधी जैविक उद्यान	पटना
	दिल्ली	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	दिल्ली
	गुजरात	कमला नेहरू प्राणी उद्यान	अहमदाबाद
		सक्करबाग चिड़ियाघर	जूनागढ़
	कर्नाटक	बनेरघट्टा प्राणी उद्यान	बैंगलुरु
		डॉ. के. शिवरामा क्रान्थ पिलिकुला जैविक उद्यान	मैंगलुरु
		श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान	मैसूरु
	उड़ीसा	नंदनकानन जैविक उद्यान	भुवनेश्वर
	पंजाब	महेन्द्र चौधरी प्राणी उद्यान	छतबीर, चंडीगढ़
	तमिलनाडु	अरिगनर अन्ना प्राणी उद्यान	वंडलुर, चेन्नई
	तेलंगाना	नेहरू प्राणी उद्यान	हैदराबाद
	उत्तर प्रदेश	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान	लखनऊ
कुल बड़े चिड़ियाघर			14
मध्यम चिड़ियाघर	आंध्र प्रदेश	श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान	तिरुपति
	छत्तीसगढ़	कानन पेण्डारी चिड़ियाघर	बिलासपुर
		मैत्री बाग चिड़ियाघर	भिलाई
	गुजरात	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान	सुरत
		इंद्रौदा प्रकृति उद्यान	गाँधी नगर
		राजकोट नगर निगम चिड़ियाघर	राजकोट
		सयाजी बाग चिड़ियाघर	बड़ोदरा
	झारखण्ड	भगवान बिरसा जैविक उद्यान	राँची
		जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान	बोकारो
		टाटा स्टील प्राणी उद्यान	जमशेदपुर
	केरल	राज्य संग्रहालय एवं चिड़ियाघर	थिश्शूर
		तिरुवनंतपुरम् चिड़ियाघर	तिरुवनंतपुरम्
	मध्य प्रदेश	कमलानेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर	इन्दौर
		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	भोपाल
	महाराष्ट्र	राजीव गाँधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव अनुसंधान केन्द्र	पुणे
		वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान एवं चिड़ियाघर	मुंबई
	मणिपुर	मणिपुर प्राणी उद्यान	इरोइसेम्बा
नागालैण्ड	नागालैण्ड प्राणी उद्यान, रंगापहाड़	रंगापहाड़	
राजस्थान	जयपुर चिड़ियाघर	जयपुर	

वर्ग	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान
	तमिलनाडु	जोधपुर चिड़ियाघर	जोधपुर
		चिल्ड्रेन्स पार्क	गुंडी, चेन्नई
		मद्रास मगरमच्छ बैंक ट्रस्ट / सरीसृप विज्ञान केंद्र	महाबलीपुरम
		वी.ओ.सी. उद्यान लघु चिड़ियाघर	कोयम्बटूर
	त्रिपुरा	सेपाहीजाला प्राणी उद्यान	अगरतला
	उत्तर प्रदेश	कानपुर प्राणी उद्यान	कानपुर
	पश्चिम बंगाल	अलीपुर प्राणी उद्यान	कोलकाला
		पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान	दार्जिलिंग
कुल मध्यम चिड़ियाघर			27
छोटे चिड़ियाघर	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	जैविक उद्यान, चिड़ियाटापू	पोर्ट ब्लेयर
	आंध्र प्रदेश	हिरण उद्यान, कंडालेरु	कंडालेरु
	अरुणाचल प्रदेश	जैविक उद्यान, ईटानगर	ईटानगर
	छत्तीसगढ़	नंदनवन जंगल सफारी (नया रायपुर)	नया रायपुर
	गोआ	बोण्डला चिड़ियाघर	उसगाओ
	हरियाणा	रोहतक चिड़ियाघर	रोहतक
	हिमाचल प्रदेश	धौलाधर प्रकृति उद्यान	गोपालपुर
		हिमालयी प्रकृति उद्यान	कुफरी
	कर्नाटक	बेल्लारी चिल्ड्रेन्स उद्यान सह चिड़ियाघर (बेल्लारी चिड़ियाघर)	बेल्लारी
		चिल्ड्रेन उद्यान एवं बिकादाकात्ती चिड़ियाघर (गडग चिड़ियाघर)	गडग
		किट्टूर रानी चेन्नमा निसर्ग धामा लघु चिड़ियाघर	बेलगाम
		बाघ एवं शेर सफारी	शिमोगा
	केरल	पारास्सीनीक्कादावु सरीसृप उद्यान	कन्नूर
	मध्य प्रदेश	गाँधी प्राणी उद्यान	ग्वालियर
		औरंगाबाद म्यूनिसिपल चिड़ियाघर	औरंगाबाद
	महाराष्ट्र	महाराजबाग चिड़ियाघर	नागपुर
		महात्मा गाँधी राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	सोलापुर
		निसर्गकवि बहिनाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय	चिंचवाड, पुणे
		संजय गाँधी राष्ट्रीय उद्यान एवं चिड़ियाघर	बोरीबली
		मेघालय	नेहरू उद्यान चिड़ियाघर
	मिजोरम	आईजोल चिड़ियाघर	आईजोल
	उड़ीसा	इन्दिरा गाँधी उद्यान चिड़ियाघर	राउरकेला
		कपिलाश चिड़ियाघर	धनकनाल
		वन्यजीव संरक्षण केन्द्र	मोतीझरन, संबलपुर
	पंजाब	हिरण उद्यान, बीर मोती बाग	पटियाला
		लुधियाना चिड़ियाघर	लुधियाना
	राजस्थान	कोटा चिड़ियाघर	कोटा
		मरुधरा जैविक उद्यान	बीकानेर
		सज्जनगढ़ जैविक उद्यान	उदयपुर
	सिक्किम	हिमालयी प्राणी उद्यान	बुलबुले, गंगटोक
	तमिलनाडु	अमृद्धि चिड़ियाघर	वेल्लोर
		चेन्नई सर्प उद्यान ट्रस्ट	गुंडी, चेन्नई
कुरुमबापात्ती प्राणी उद्यान		सलेम	
तेलंगाना	वन विज्ञान केन्द्र	हनमकोंडा, वारांगल	
उत्तराखण्ड	पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त उच्च स्थलीय चिड़ियाघर	नैनीताल	

वर्ग	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान
	पश्चिम बंगाल	बर्धमान प्राणी उद्यान (रमनाबागान लघु चिड़ियाघर)	बर्धमान
		जंगली महल प्राणी उद्यान	झारग्राम
		मार्बल पैलैस चिड़ियाघर	कोलकाता
कुल छोटे चिड़ियाघर			38
लघु चिड़ियाघर	आंध्र प्रदेश	हिरण उद्यान, चित्तूर	चित्तूर (पूर्व) प्रभाग
		हिरण उद्यान, एनएफसीएल हरित क्षेत्र	काकीनाडा
		जी.वी.के. उद्योग हिरण उद्यान	जिगुरुपाडू
	अरुणाचल प्रदेश	म्याँऊ लघु चिड़ियाघर	म्याँऊ
		लघु चिड़ियाघर, रोइंग	रोइंग
	असम	बिजनी हिरण उद्यान	बोंगाईगाँव
	दादर एवं नगर हवेली	शेर सफारी – वसोना	वसोना
	दिल्ली	ए.एन. झा हिरण उद्यान	नई दिल्ली
	गुजरात	सुंदरवन प्रकृति खोज केन्द्र	जोधपुर टेकरा (अहमदाबाद)
	हरियाणा	हिरण उद्यान, हिसार	हिसार
		लघु चिड़ियाघर, भिवानी	भिवानी
		लघु चिड़ियाघर, पीपली	पीपली
	हिमाचल प्रदेश	रेणुका लघु चिड़ियाघर	सिरमौर
		रिवालसर लघु चिड़ियाघर	मंडी
		सरहन फीजैटरी	सरहन
	जम्मू एवं कश्मीर	मंडा हिरण उद्यान	रामनगर (जम्मू)
		लघु चिड़ियाघर, पहलगाम	पहलगाम
	झारखण्ड	बिरसा मृग विहार	कालीमाटी
		मगर प्रजनन केंद्र (मूटा चिड़ियाघर)	मूटा
	कर्नाटक	श्री क्षेत्र सोगल हिरण उद्यान, सौदत्ती	बेलगाँव
		हिरण उद्यान, एन.डी.एम.सी. लिमिटेड	डोनीमलाई
		इन्दिरा प्रियदर्शिनी संग्रहालय, अनागोडू	दावेनगिरि तालुक
		लघु चिड़ियाघर ए.एम. गुडी बलवाना	चित्रदुर्गा
		गेंडेकट्टे लघु चिड़ियाघर	हसन
		लघु चिड़ियाघर सह चिल्ड्रेन पार्क	गुलबर्गा
		नमादाचिलुमे हिरण उद्यान	तुमकूर
	केरल	तुंगभद्रा बाँध लघु चिड़ियाघर	बेल्लारी
		कोडानाडु चिड़ियाघर	कोडानाडु
		नैय्यर बाँध शेर सफारी उद्यान (नैय्यर लघु चिड़ियाघर)	तिरुवनंतपुरम
	मध्य प्रदेश	सर्प उद्यान, मलामपुझा	मलामपुझा
		महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव सफेद बाघ सफारी एवं चिड़ियाघर, मुकुन्दपुर	सतना
	महाराष्ट्र	महाराजा शाहाजी छत्रपति चिड़ियाघर	कोल्हापुर
सर्प उद्यान, शिक्षण मंडल		कोल्हापुर	
मेघालय	लेडी हयाद्री पार्क एनीमल लैंड (मेघालय चिड़ियाघर)	शिलाँग	
मिजोरम	हिरण उद्यान, थेंजावल	थेंजावल	
उड़ीसा	हिरण उद्यान, कटक नगर निगम	कटक	
	हिरण उद्यान, पापड़ाहाडी	नबरंगपुर	
	घड़ियाल अनुसंधान एवं संरक्षण इकाई	टिकरपारा	
	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हिरण उद्यान, सुनाबेदा, कोरापुट	सुनाबेदा	

वर्ग	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	
		हरिशंकर हिरण उद्यान	बलांगिर	
		कुनेरिया हिरण उद्यान, नयागढ़ वन प्रभाग	नयागढ़	
		तपतापानी हिरण उद्यान	पारलखेमुंडी	
	पंजाब	हिरण उद्यान, बीर तालाब	भटिंडा	
		हिरण उद्यान, नीलॉन	लुधियाना	
	राजस्थान	पंचवटी हिरण उद्यान	पिलानी	
		सफारी उद्यान, हरिदास जी की मागरी	उदयपुर	
	तमिलनाडु	हिरण उद्यान, ऊटी	ऊधागमंडलम्	
		शिवगंगा उद्यान लघु चिड़ियाघर	थंजावुर	
	तेलंगाना	हिरण उद्यान, टेक महिन्द्रा तकनीकी केन्द्र	रंगारेड्डी	
		हिरण उद्यान, केशोराम सीमेन्ट	बसन्त नगर	
		हिरण उद्यान, जवाहर झील पर्यटन परिसर	शमीरपेट	
		हिमायत सागर लघु चिड़ियाघर	रंगा रेड्डी	
		करीमनगर हिरण उद्यान	करीमनगर	
		किन्नरसानी हिरण उद्यान	किन्नरसारी	
		पिल्लालामारी हिरण उद्यान	महबूब नगर	
		सांघी हिरण उद्यान	सांघी नगर	
	उत्तर प्रदेश	शेर प्रजनन केन्द्र एवं बहु-सफारी उद्यान, इटावा	इटावा	
		नवाबगंज हिरण उद्यान	उन्नाव	
		सारनाथ हिरण उद्यान	वाराणसी	
		वन प्राणी उद्यान, आई.वी.आर.आई.	इज्जतनगर, बरेली	
		विनोद वन लघु चिड़ियाघर, रामगढ़ (गोरखपुर प्राणी उद्यान)	गोरखपुर	
	उत्तराखंड	हिरण उद्यान, नारायण तिवारी देवाल	अल्मोड़ा	
		माल्सी हिरण उद्यान	देहरादून	
	पश्चिम बंगाल	अदीना हिरण उद्यान	मालदा	
		गारचुमुक हिरण उद्यान	हावड़ा	
		उत्तरी बंगाल वन्यजीव उद्यान	जलपाईगुड़ी	
		रसिकबील लघु चिड़ियाघर	कूचबिहार	
		दक्षिण खैरबारी बचाव केन्द्र	मदारीहाट	
		सुंदरवन वन्यजीव उद्यान, झारकाली	जिला 24 परगना दक्षिण	
		सुरुलिया लघु चिड़ियाघर, पुरुलिया	पुरुलिया	
	कुल लघु चिड़ियाघर			71
	सर्कस	उत्तर प्रदेश	अपोलो सर्कस	बुलन्दशहर
			एशियाड सर्कस	कानपुर
	कुल सर्कस			2
	बचाव केंद्र	आंध्र प्रदेश	करुणा वन्यजीव बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र, रायलसीमा	बीडुपल्ली, जिला अनंतपुर
		अरुणाचल प्रदेश	भालू पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र	पाक्के
		असम	वन्यजीव पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र	गोलाघाट
			चौधरी सुरिंदर सिंह हाथी बचाव केन्द्र	वनसंतूर
		हरियाणा	गिद्ध प्रजनन संरक्षण केन्द्र	पिंजौर
			वन्यजीव बचाव केन्द्र	गुडगाँव
		हिमाचल प्रदेश	नेहरू फीजेंटरी	मन्नाली
बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र			टुटीकांडी	
कर्नाटक		पीपुल फॉर एनीमल्स - बचाव केन्द्र	बैंगलुरु	
	आम्टे एनीमल आर्क बचाव केन्द्र	हमालकासा,		

वर्ग	राज्य	चिड़ियाघर का नाम	स्थान
	महाराष्ट्र	तेंदुआ बचाव केन्द्र	गढ़चिरोली जिला
		पीपुल फॉर एनीमल्स, आश्रय गृह	मानिकदोह
		गोरेवाड़ा बचाव केन्द्र	वर्धा
		गोरेवाड़ा बचाव केन्द्र	नागपुर
	उत्तर प्रदेश	आगरा भालू बचाव सुविधा	आगरा
	पश्चिम बंगाल	प्रकृति उद्यान तारातोला मार्ग	कोलकाता
कुल बचाव केन्द्र			15
कुल			167

4.3 संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारतीय चिड़ियाघरों में गंभीर रूप से विलुप्त हो रहे 73 चयनित वन्य प्राणियों के प्रजातियों के नियोजित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में समन्वय कर रहा है, जिसमें से 26 प्रजातियों को कार्यक्रम के लिए प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया गया है। 23 प्रजातियों के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। लक्ष्य है कि प्रत्येक लक्षित प्रजाति से कम से कम 100 वन्यजीवों को जो कि सही नस्ल, आनुवंशिक, शारीरिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ हैं, भारतीय चिड़ियाघरों में मौजूद प्रजातियों को उचित प्रदर्शन के लिए और भविष्य की अनिवार्यता के लिए बीमा के रूप में और अंत में उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने एक सींग वाले गेंडों, गिद्धों, माऊस डीयर, हुलक गिबबन और ब्लिथस ट्रेगोपैन आदि के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नए और चालू परियोजनाओं के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	चिड़ियाघर का नाम	प्रजातियाँ	कार्यकलाप	राशि (लाख रु. में) में
1	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	माऊस डीयर	जानवरों का चारा और उनका रख-रखाव, जीव-विज्ञानी, वन्यजीव-रक्षक आदि का वेतन	13.90
2	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	गिद्ध	जानवरों का रख-रखाव, जीव-विज्ञानी का वेतन, प्रजनन संरक्षण केन्द्र के रख-रखाव हेतु वन्यजीव-रक्षक का वेतन	13.92
3	जैविक उद्यान, ईटानगर	हूलाँक गिबबन	जीव-विज्ञानी का वेतन, प्रजनन संरक्षण केन्द्र के रख-रखाव हेतु पशु-रक्षक का वेतन	23.75
4	नागालैण्ड प्राणी उद्यान, दीमापुर	ब्लिथस ट्रेगोपैन	प्रजनन संरक्षण केन्द्र का रख-रखाव	16.22 (10.72 + 5.50)
5	गिद्ध प्रजनन संरक्षण केन्द्र, पिंजौर	गिद्ध	गिद्धों की निगरानी के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरों को लगाना	9.50
6	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना	एक सींग वाला गेंडा	प्रजनन बाड़े का निर्माण	232.67

इसके अलावा, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नंदनवन जंगल सफारी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन्य भैंस (*बुबलबस बुव्लिस आर्नी*) के प्रजनन संरक्षण कार्यक्रम लिए समन्वित चिड़ियाघर के रूप में अनुमोदित किया।

लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन की दिशा में प्रयासों ने वर्षों से उत्कृष्ट परिणाम उत्पन्न किए हैं। कुछ प्रजातियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में किया गया प्रजनन प्रदर्शन निम्नलिखित है:-

माऊस डीयर (*मौसचीओला इण्डिका*)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात	कुल
2014-15	29	44	42	115
2015-16	39	40	82	161
2016-17	80	61	81	222

लॉयन टेल्ड मर्कॉक (*मकाका साइलेनस*)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात	कुल
2014-15	27	25	9	61
2015-16	9	7	4	20
2016-17	24	23	6	53

हिम तेंदुआ (*यूसिया यूसिया*)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात	कुल
2014-15	4	10	0	14
2015-16	1	9	0	10
2016-17	3	9	0	12

लाल पांडा (*एल्यूरस फूलजेन्स फूलजेन्स*)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात	कुल
2014-15	13	13	0	26
2015-16	14	9	3	26
2016-17	10	11	2	23

पश्चिमी ट्रेगोपैन (*ट्रेगोपैनमेलानो सेफालस*)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात	कुल
2014-15	15	14	0	29
2015-16	16	13	0	29
2016-17	16	11	0	27

चैड मुर्ग (कैटरैयस वालिचि)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात	कुल
2014-15	22	13	0	35
2015-16	22	32	0	54
2016-17	18	28	0	44

4.4 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चिड़ियाघरों द्वारा वन्य प्राणियों का विनिमय/स्थानांतरण

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य विभिन्न प्रजाति के जन्तुओं के कुल 64 विनिमय प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। प्राधिकरण ने भारतीय एवं विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य 9 विनिमय प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया है। भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य 3 प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा मंजूरी नहीं दी गयी है।

4.4.1 भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य कैप्टिव वन्य जीवों का विनिमय

भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य जन्तुओं के 64 विनिमय प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अनुमोदित किया गया है:-

क्र.सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर
1	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची
	रॉयल बंगाल टाइगर 1:1	धारीदार लकड़बघा 1:1
		तेंदुआ बिल्ली 1:1
2	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल	चिड़ियाघर एवं बचाव केन्द्र, मुकुन्दपुर, सतना
	तेंदुआ 1:1	
3	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इन्दौर	मद्रास मगरमच्छ बैंक ट्रस्ट, ममल्लापुरम
	काला कोबरा 1:1	पीला एनाकोडा 1:2
	भारतीय मॉनीटर छिपकली 1:1	
4	एम. सी. प्राणी उद्यान, छतबीर, चंडीगढ़	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत
	हिमालयी काला भालू 1:1	स्मूद कोटेड इण्डियन ओटर 1:1
	बार्किंग डीयर 1:2	चौसिंहा मृग 1:1
	स्वर्ण तीतर 1:1	सफेद मोर 1:1
5	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर	असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहटी
	काला हिरण 2:5	स्टम्ड टेल्ड मर्कॉक 1:2
	धारीदार लकड़बघा 1:0	तेंदुआ बिल्ली 2:2
6	श्री चमाराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु	मद्रास मगरमच्छ बैंक ट्रस्ट, ममल्लापुरम
		इण्डियन रॉक पाइथन 2:2
7	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर	नंदनवन चिड़ियाघर, रायपुर
	रॉयल बंगाल टाइगर 1:1	एशियाई शेर 1:1
8	मद्रास मगरमच्छ बैंक ट्रस्ट, ममल्लापुरम	बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बैंगलुरु

क्र.सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर
	इण्डियन रॉक पाइथन 3:3	
9	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु
	रिसस मर्कॉक 1:1	लेडी एम्हस्ट फीजेंट 2:2
10	कानन पेण्डारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर	माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर
	स्लॉथ बियर 1:1	चिंकारा 2:4
	लकड़बघा 1:0	
11	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बैंगलुरु
	घड़ियाल 2:0	संगाई हिरण 2:2
	सियार 2:1	
12	कानन पेण्डारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद
	रेटल 1:0	इण्डियन गौर 1:1
	दरियाई घोड़ा 1:0	
13	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुर, चेन्नई	तिरुवनंतपुरम प्राणी उद्यान, तिरुवनंतपुरम
	जालीदार अजगर 2:2	हॉग डियर 3:3
	सफेद मोर 2:2	रिया 2:2
14	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुर, चेन्नई	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु
	रिसस मर्कॉक 2:4	नीलगाय 2:6
	जालीदार अजगर 1:1	कामन रिंग नेकड फीजेंट 1:1
	सांभर 1:2	रजत तीतर 0:2
15	नाहरगढ़ प्राणी उद्यान, जयपुर	कानन पेण्डारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर
	भेड़िया 1:3	शेर 1:1
16	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु	संजय गाँधी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान चिड़ियाघर, बोरीबली, मुंबई
	रस्टी स्पार्टेड कैट 1:1	रस्टी स्पार्टेड कैट 1:2
17	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	इन्दिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम
	स्वाम्म डीयर 1:1	जंगली बिल्ली 2:0
18	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर
	भारतीय भेड़िया 0:1	
19	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुर, चेन्नई	सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर
	सफेद बाघ 1:0	
20	माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुर, चेन्नई
	भेड़िया 0:1	
21	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुर, चेन्नई	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर
		भेड़िया 0:1
22	कोटा चिड़ियाघर, कोटा (अभेदा जैविक उद्यान में स्थानांतरित किया जाना है)	माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर
	हाईब्रिड शेर 0:1	
23	कोटा चिड़ियाघर, कोटा (अभेदा जैविक उद्यान में स्थानांतरित किया जाना है)	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर

क्र.सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर
	रॉयल बंगाल टाइगर 0:1	
24	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	नंदनकानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर
	रॉयल बंगाल टाइगर 1:0	रॉयल बंगाल टाइगर 0:1
	माऊस डियर 5:2	माऊस डियर 0:1
	सफेद मोर 1:1	वाटर मॉनीटर लिजर्ड 1:2
	लाल जंगली मुर्गे 2:3	
	पेंटेड स्टार्क 2:2	
	मगर क्रोकोडॉयल 2:3	
25	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुर, चेन्नई
	ब्रो एन्टलेर्ड डियर 2:3	शेर पूँछ बंदर 1:1
	लेडी एम्हस्टर्ट फीजेंट 1:1	
26	श्री सयाजीबाग चिड़ियाघर, वडोदरा	कमला नेहरू प्राणी उद्यान, अहमदाबाद
	ब्लू क्राउन्ड पिजन 0:1	हॉग डीयर 2:2
	रजत तीतर 1:1	सियार 1:1
		शाही 2:2
		इण्डियन रॉक पाइथन 2:2
		स्पूनबिल 2:2
	पेंटेड स्टार्क 1:1	
27	प्राणी उद्यान, अलीपुर, कोलकाता	उत्तरी बंगाल वन्यजीव उद्यान, सिलीगुड़ी
	बंगाल टाइगर 1:1	
28	पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली
	हिमालयी गोरल 1:0	हिमालयी गोरल 1:2
	लेडी एम्हस्टर्ट फीजेंट 0:2	बार्किंग डीयर 2:0
	बार्किंग डीयर 2:0	लाल जंगली मुर्गे 2:3
	लाल जंगली मुर्गे 2:3	कलीज तीतर 1:2
	कलीज तीतर 1:2	
29	पिलिकुला जैविक उद्यान, मैंगलुरु, कर्नाटक	राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट, गुजरात
	भारतीय कोबरा 2:2	रिसस मर्कॉक 0:1
	इण्डियन रॉक पाइथन 2:2	कामन लंगूर 0:1
	चेकर्ड कीलबैक 2:2	
	ग्रीन वाइन स्नेक 1:1	
	व्हिटेकर्स बोआ 2:2	
	रसेल्स वाइपर 2:2	
	रैट स्नेक 2:2	
	मोटेन ट्रिंकट स्नेक 1:1	
	मार्श क्रोकोडायल 0:0:4	
	रोज रिंग्ड पैराकीट 1:1	
बजरीगर 0:0:4		
30	कानन पेण्डारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर
		भेड़िया 1:2

क्र.सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर
31	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	इन्दिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम
	स्वाम्प डीयर 1:1	जंगली बिल्ली 2:0
32	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु	राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट
	इण्डियन ग्रे वूल्फ 1:1	एशियाई शेर 1:0
	हिमालयी काला भालू 1:0	
	हाँग डीयर 0:2	
	कामन सैन्ड बोआ 2:0	
	एलेक्जेंडरीन पैराकीट 1:1	
	लेडी एम्हस्ट फीजेंट 1:1	
	लाल जंगली मुर्गा 2:2	
	व्हाइट इबिस 1:1	
	रोज रिग्ड पैराकीट 1:1	
	बजरीगर 10:10	
	जावा स्पैरो 3:3	
33	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु	संजय गाँधी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान चिड़ियाघर, बोरीबली, मुंबई
	रस्टी स्पॉटड कैट 1:1	रस्टी स्पॉटड कैट 1:1
34	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर
	हिमालयी काला भालू 1:0	एशियाई शेर 1:1
35	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	नंदनकानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर
	पेंटेड स्टॉर्क 2:2	स्लॉथ बियर 2:1
	घड़ियाल 2:0	
36	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची
	तेंदुआ 0:2	स्लॉथ बियर 2:0
37	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	शेर प्रजनन केन्द्र एवं बहु सफारी उद्यान, इटावा
	काला मृग 1:9	
38	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	शेर प्रजनन केन्द्र एवं बहु सफारी उद्यान, इटावा
	तेंदुआ 2:1	
39	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर	शेर प्रजनन केन्द्र एवं बहु सफारी उद्यान, इटावा
	काला मृग 4:6	
40	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर	शेर प्रजनन केन्द्र एवं बहु सफारी उद्यान, इटावा
	तेंदुआ 3:2	
41	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इन्दौर	राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट
	भारतीय लोमड़ी 2:2	सफेद बाघ 0:1
	सफेद मोर 1:1	
	एलेक्जेंड्रेन पैराकीट 1:1	
42	स्वर्ण तीतर 1:0	
	राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट	सक्करबाग प्राणी उद्यान, जूनागढ़
		चिंकारा 1:2

क्र.सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर
43	इंद्रोदा प्रकृति उद्यान, गाँधीनगर	सक्करबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़
		रॉयल बंगाल टाईगर 0:1
		तेंदुआ 2:2
44	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत
	काला हंस 1:1	स्मूथ कोटेड ओटर 1:1
	धारीदार लकड़बघा 1:1	
45	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इन्दौर	इन्दिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम
	बंगाल टाईगर 1:0	व्हाइट टाईगर 1:1
46	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर	पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल
	रजत तीतर 2:0	रजत तीतर 2:0
	स्वर्ण तीतर 1:1	स्वर्ण तीतर 1:1
	लाल जंगली मुर्गा 2:3	कालीज तीतर 2:3
	लेडी एम्हर्स्ट फीजेंट 1:1	लेडी एम्हर्स्ट फीजेंट 1:1
	बजरीगर 0:0:6	
47	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुरु, चेन्नई	नंदनकानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर
	नीलगिरि लंगूर 1:1	हिमालयी काला भालू 1:1
	जालीदार अजगर 1:1	वाटर मॉनीटर लिजर्ड 1:1
	सफेद मोर 2:2	स्यामीज क्रोकोडायल 1:0
	पेंटेड स्टॉर्क 0:0:10	ओपेन बिल स्टॉर्क 2:2
	लकड़बघा 0:1	व्हाइट इबिज 5:5
		लकड़बघा 1:0
48	सफारी उद्यान हरिदास जी की मागरी, उदयपुर	सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर
		स्पॉटेड डीयर 0:2
49	एम.सी. प्राणी उद्यान छत्तबीर, पंजाब	लघु चिड़ियाघर-सह-हिरण सफारी बीर तालाब, भटिंडा
	तेंदुआ 2:1	
50	अलीपुर प्राणी उद्यान, कोलकाता	सक्करबाग प्राणी उद्यान, जूनागढ़
	जिराफ 1:1	एशियाई शेर 1:1
		चौसिंहा मृग 1:1
		चिंकारा 2:2
51	पिलिकुला जैविक उद्यान, मैंगलुरु	सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर
	बंगाल टाईगर 1:0	एलेक्जेंड्रेन पैराकीट 1:1
		ब्लॉसम हेडेड पैराकीट 1:1
		रोज रिंगड पैराकीट 1:3
52	कानन पेण्डारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर	टाटा स्टील प्राणी उद्यान, जमशेदपुर
	लकड़बघा 1:0	काला मृग (एलबिनो) 2:4
	कोकाटिल 6:6	हॉग डीयर 0:2
	बजरीगर 8:6	
53	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची
	भेड़िया 1:2	हाइब्रिड लॉयन 1:1
54	हिमालयी प्राणी उद्यान, गंगटोक	पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान,

क्र.सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर
		नैनीताल
	लाल पांडा 0:1	लाल पांडा 0:1
55	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत	राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट
	स्मूद इण्डियन ओटर 1:1	
	सियार 2:2	
	सफेद मोर 1:1	
56	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	प्राणी उद्यान, तिरुवनंथपुरम
	एशियाई शेर 1:1	लॉयन टेल्ड मर्कॉक 1:1
		व्हाइट रिया 1:1
		ब्राउन रिया 1:1
57	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर	प्राणी उद्यान, तिरुवनंतपुरम
	धारीदार लकड़बघा 1:1	ब्राउन रिया 1:1
		व्हाइट रिया 1:1
58	एम.सी. प्राणी उद्यान, छत्तबीर	हिरण उद्यान, हिंसार
	सांभर 1:1	
	बाकिंग डीयर 1:2	
59	एम.सी. प्राणी उद्यान, छत्तबीर, पंजाब	लघु चिड़ियाघर, भिवानी
	तेंदुआ 0:1	
60	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	शेर प्रजनन केन्द्र एवं बहु सफारी उद्यान, इटावा
	स्लॉथ बियर 3:1	
61	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुर, चेन्नई
	ब्रो एन्टलेर्ड डीयर 1:1	शेर पूँछ बन्दर 1:1
	लेडी एम्हर्स्ट फीजेंट 1:1	
	धोल 1:1	
62	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु	राज्य चिड़ियाघर, उमटूर
		हिमालयी काला भालू 1:0
63	आईजोल प्राणी उद्यान, मिजोरम	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद
	पिग-टेल्ड मर्कॉक 1:1	
64	पिलिकुला प्राणी उद्यान, मैंगलुरु	बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बैंगलुरु
	बंगाल टाईगर 1:0	बंगाल टाईगर 0:1
	कॉमन लंगूर 1:0	कॉमन लंगूर 0:1
	गोल्डन जैकाल 4:4	नाइट हीरोन 5:5
	कॉमन पाल्म सिवेट 1:1	
	बाकिंग डीयर 2:2	
	लाल जंगली मोर 2:2	
	लेसर व्हिसलिंग टील 0:0:2	

4.4.2 भारतीय चिड़ियाघरों और विदेशी चिड़ियाघरों के बीच विनिमय

वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारतीय एवं विदेशी चिड़ियाघरों के बीच कुल 9 विनिमय प्रस्ताव नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए गए हैं:-

क्र.सं.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर	चिड़ियाघर का नाम एवं दिये जाने वाले जानवर
1	बीरमाता जीजाबाई भोंसले उद्यान एवं चिड़ियाघर, मुंबई	कॉक्स एक्वेरियम, सियोल, कोरिया
		हमबोल्ट पेंगुइन 3:5
2	अलीपुर प्राणी उद्यान, कोलकाता	कानाजावा प्राणी उद्यान, योकोहामा
		ग्रे कंगारू 2:2
3	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची	प्राणी केन्द्र, तेल अवीव, रमत गन (सफारी), इजरायल
		ग्रान्ट्स जेब्रा 2:2
4	बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बैंगलुरु	पाफोस चिड़ियाघर, साइप्रस
	जिराफ 2:2	भारतीय हाथी 0:2
5	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	जिलन चिड़ियाघर, चेक गणराज्य
	ब्लैक नेकड स्टॉक 3:1	रेड नेकड वलाबी 4:4
		ग्रेटर फ्लैमिंगो 4:4
6	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, देहिवाला, श्रीलंका
	काला मृग 2:2	ग्रीन एनाकोंडा 3:3
	नीलगाय 2:2	
7	मद्रास मगरमच्छ बैंक ट्रस्ट, ममल्लापुरम	डलास वर्ल्ड जू एण्ड एक्वेरियम, डलास, संयुक्त राज्य अमेरिका
		ओरिनोको क्रोकोडायल 1:1
8	प्राणी उद्यान, तिरुवनंतपुरम	मायस्टिक मंकीज एण्ड फीदरज, वाइल्डलाइफ पार्क, बेला-बेला, साउथ अफ्रीका
		जिराफ 2:2
		जेब्रा 2:3
		शेर 2:2
9	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु	प्राणी केन्द्र, तेल अवीव, रमत गन (सफारी), इजरायल
		जेब्रा 1:3

4.4.3 बचाए गए वन्यजीवों को चिड़ियाघरों में रखने की अनुमति

वर्ष 2016-17 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने बचाए गए वन्यजीवों को निम्न चिड़ियाघरों में रखने के प्रस्तावों को निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया:-

1. वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल
2. नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़, जयपुर
3. जोधपुर चिड़ियाघर, जोधपुर

4.4.4 अतिरिक्त मगरमच्छों को जंगल में छोड़ने का प्रस्ताव

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति की 81^{वीं} बैठक जो कि 24.01.2017 को हुई, इस बैठक में महात्मा गाँधी चिड़ियाघर, सोलापुर, महाराष्ट्र के द्वारा चंदोली बाँध, महाराष्ट्र में 16 उप-व्यस्क मार्श मगरमच्छों को छोड़ने के प्रस्ताव को निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के आधार पर सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया। अभी तक चिड़ियाघर से निर्णय का कार्यान्वयन प्राप्त नहीं हुआ है।

4.5 वन्य प्राणी वंशावली का रख-रखाव

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को "भारतीय चिड़ियाघरों में चयनित लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए स्टडबुक्स के विकास और रख-रखाव" शीर्षक वाली परियोजना प्रदान की है। परियोजना के अंतर्गत वन्यजीव संस्थान, देहरादून को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 एवं 2 में सूचीबद्ध पहचाने गए लुप्तप्राय जंगली जानवरों की राष्ट्रीय पुस्तकों की तैयारी, अद्यतन और रख-रखाव का काम सौंपा गया है।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने भारतीय चिड़ियाघरों में रखे गए लुप्तप्राय पहचान वाले जंगली जानवरों की राष्ट्रीय पुस्तकों की तैयारी, अद्यतन और रख-रखाव के लिए दिनांक 27.03.2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ज्ञापन के अंतर्गत, भारतीय वन्यजीव संस्थान 14 प्रजातियों के मौजूदा स्टडबुक्स के नवीनीकरण और रख-रखाव के कार्य को निष्पादित करेगा जिसमें रॉयल बंगाल टाईगर, एशियाई शेर, शेर-पूँछ बंदर, एक सींग वाला गैंडा, हुलॉक गिबबन, जंगली गधा, गौर, तिब्बती भेड़िया, नीलगिरि लंगूर, जंगली कुत्ता, लाल-पांडा, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड और भूटानी ग्रे फीजैट शामिल हैं।

इसके साथ-साथ भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून लुप्तप्राय कैप्टिव वन्यजीवों की 20 प्रजातियों जैसे चिंकारा, ग्रे वूल्फ, गोल्डन लंगूर, इण्डियन पैंगोलिन, व्हाइट बैकड वल्चर, लांग बिल्ड वल्चरस, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, निकोबार कबूतर, पिग टेल्ड मकॉक, सिरों, स्पेकटेकल लंगूर, स्वाम्प हिरण, चिर फीजैट, हिमालयी मोनाल, पश्चिमी ट्रेगोपेन, चौसिंगा, माऊस डीयर, स्टम्प टेल्ड मकॉक, संगई और नीली भेड़ के राष्ट्रीय वंशावली पुस्तक/ हर्डबुक्स को तैयार, अद्यतन एवं रख-रखाव करेगा।

भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने अब तक 14 में से 13 प्रजातियों के मौजूदा वंशावली पुस्तक का अद्यतन कर दिया है और 20 में से 10 पहचानी गई प्रजातियों के लिए वंशावली पुस्तक तैयार की गई है।

(अ) पहले से तैयार अद्यतित वंशावली पुस्तक (2012-13 से पूर्व) :-

क्र. सं.	प्रजाति	प्रगति	जमा करने की तिथि	वार्षिक अद्यतन
1	रॉयल बंगाल टाईगर	आज तक अद्यतित नहीं किया गया	---	---
2	एशियाई शेर	दिसम्बर, 2013 तक के आकड़े, मई, 2014 में प्रकाशित किया गया	मई, 2014	एक बार
3	शेर-पूँछ बन्दर	जून, 2015 तक के आकड़े, जुलाई, 2015 में प्रकाशित किया गया	05.08.2015	एक बार
4	एक सींग वाला गैंडा	दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित किया गया	20.12.2016	एक बार
5	हुलॉक गिबबन	मार्च, 2015 तक के आकड़े, अप्रैल, 2015 में प्रकाशित किया गया	11.06.2015	एक बार
6	जंगली गधा	दिसम्बर, 2015 तक के आकड़े, अप्रैल, 2016 में प्रकाशित किया गया	03.05.2016	एक बार
7	गौर	मई, 2015 तक के आकड़े, जून, 2015 में प्रकाशित किया गया	08.07.2015	एक बार
8	तिब्बती भेड़िया	दिसम्बर, 2013 तक के आकड़े, अगस्त, 2014 में प्रकाशित किया गया	26.09.2014	एक बार
9	नीलगिरि लंगूर	दिसम्बर, 2014 तक के आकड़े, मार्च, 2015 में प्रकाशित किया गया	17.04.2015	एक बार

10	जंगली कुत्ता	जनवरी, 2017 में प्रकाशित किया गया	19.01.2017	एक बार
11	लाल पांडा	दिसम्बर, 2013 तक के आकड़े, मई, 2014 में प्रकाशित किया गया	13.08.2014	एक बार
12	हिम तेंदुआ	जून, 2014 तक के आकड़े, नवम्बर, 2014 में प्रकाशित किया गया	24.02.2015	एक बार
13	क्लाउड्डेड लेपर्ड	जून, 2014 तक के आकड़े, नवम्बर, 2014 में प्रकाशित किया गया	16.12.2014	एक बार
14	भूटान ग्रे फीजेंट	मार्च, 2016 तक के आकड़े, अप्रैल, 2016 में प्रकाशित किया गया	09.05.2016	एक बार

(ब) नई प्रजातियों के लिए वंशावली पुस्तक की तैयारी, अद्यतन एवं रख-रखाव (2012-13 से):-

क्र. सं.	प्रजाति	प्रगति	जमा करने की तिथि	वार्षिक अद्यतन
1	चिकारा	आज तक तैयार नहीं किया गया	---	---
2	ग्रे वुल्फ	आज तक तैयार नहीं किया गया	---	---
3	गोल्डन लंगूर	दिसम्बर, 2013 तक के आकड़े, मार्च, 2014 में प्रकाशित किया गया	23.04.2014	एक बार
4	इण्डियन पैंगोलिन	दिसम्बर, 2013 तक के आकड़े, मार्च, 2014 में प्रकाशित किया गया	31.03.2016	एक बार
5	व्हाइट बैकड वल्चर	आज तक तैयार नहीं किया गया	---	---
6	लांग बिल्ड वल्चर	आज तक तैयार नहीं किया गया	---	---
7	स्लेंडर बिल्ड वल्चर	आज तक तैयार नहीं किया गया	---	---
8	निकोबार कबूतर	आज तक तैयार नहीं किया गया	---	---
9	पिंग-टेल्ड मकॉक	दिसम्बर, 2013 तक के आकड़े, मार्च, 2014 में प्रकाशित किया गया	23.04.2014	एक बार
10	हिमालयी सेरो	मार्च, 2016 तक के आकड़े, जून, 2016 में प्रकाशित किया गया	20.07.2016	एक बार
11	स्पेक्टैकल लंगूर	दिसम्बर, 2013 तक के आकड़े, मार्च, 2014 में प्रकाशित किया गया	22.09.2014	एक बार
12	स्वाम्प डीयर	आज तक तैयार नहीं किया गया	---	---
13	चीयर फीजेंट	दिसम्बर, 2015 तक के आकड़े, मई, 2016 में प्रकाशित किया गया	06.06.2016	एक बार
14	हिमालयी मोनाल	मार्च, 2016 तक के आकड़े, जून, 2016 में प्रकाशित किया गया	05.07.2016	एक बार

क्र. सं.	प्रजाति	प्रगति	जमा करने की तिथि	वार्षिक अद्यतन
15	पश्चिमी ट्रेगोपेन	नवम्बर, 2015 तक के आकड़े, जनवरी, 2016 में प्रकाशित किया गया	06.01.2016	एक बार
16	चौसिंगा	आज तक तैयार नहीं किया गया	---	---
17	माऊस हिरण	आज तक तैयार नहीं किया गया	---	---
18	स्टम्प टेल्ड मकॉक	दिसम्बर, 2013 तक के आकड़े, मार्च, 2014 में प्रकाशित किया गया	26.05.2014	एक बार
19	संगाई	आज तक तैयार नहीं किया गया	---	---
20	नीली भेड़	अक्टूबर, 2014 तक के आकड़े, जनवरी, 2015 में प्रकाशित किया गया	09.02.2015	एक बार

परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए 20 जुलाई, 2016 को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्यालय परिसर में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न वंशावली पुस्तकों के संकलन और अद्यतन की स्थिति पर चर्चा हुई और विभिन्न निर्णय लिए गए। यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रजातियों के लिए वंशावली पुस्तकों की तैयारी और अद्यतन प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए और इसे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

भविष्य के कार्यों में बाघों की वंशावली पुस्तक को अद्यतन करना और चार सींग वाले एंटीलोप, माऊस हिरण, स्वाम्प डीयर, संग्गाई, चिंकारा, गिद्ध और निकोबारी कबूतर के लिए नई वंशावली पुस्तक की शुरुआत शामिल है।

इसी तरह, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर में रखे गए स्लॉथ भालू, हिमालयी काला भालू, हिमायली भूरा भालू और मलायन सन भालू की वंशावली पुस्तक की तैयारी, अद्यतन एवं रख-रखाव की परियोजना को एक गैर-सरकारी संगठन वन्यजीव एसओएस, नई दिल्ली को दिया गया था। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्यजीव एसओएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उपर्युक्त परियोजना को 31.03.2011 से पाँच साल के भीतर पूरा किया जाएगा और अनुदान की पहली किस्त मार्च, 2011 के दौरान जारी की गई थी।

समझौता ज्ञापन के अनुसार अध्ययन के उद्देश्यों का उल्लेख निम्नलिखित है:-

1. चिड़ियाघर में रखे गए स्लॉथ भालू, हिमालयी काला भालू, हिमालयी भूरा भालू और मलायन सन भालू की वंशावली पुस्तक की तैयारी, अद्यतन और रख-रखाव के कार्य को निष्पादित करना।
2. आँकड़ों को भरने तथा वंशावली पुस्तक को पूरा करने के लिए सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय वंशावली पुस्तक का नंबर देने सहित विभिन्न प्रजातियों की वंशावली पुस्तकों का अद्यतन करने के लिए नए भालुओं व वन्यजीवों को शामिल करना जारी रखना।
3. वन्यजीव एसओएस वंशावली पुस्तक में भरे गए आँकड़ों का विश्लेषण करेगा और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय चिड़ियाघरों को नियोजित संरक्षण प्रजनन और चिड़ियाघरों में चिन्हित की गई प्रजातियों के पशुओं के आदान-प्रदान के लिए सहायता करेगा।
4. स्लॉथ भालू, हिमालयी काले भालू, हिमालयी भूरे भालू और मलायन सन भालू की संख्या और भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य जानवरों के आदान-प्रदान हेतु अंतर्राष्ट्रीय वंशावली पुस्तक रखवालों के साथ वन्यजीव एसओएस सम्पर्क में रहेगा।

कई अनुस्मारकों के बाद 22.02.2016 को वन्यजीव एसओएस द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन पर यह पाया गया कि यह वांछित मानकों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है।

हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर सहमति व्यक्त की गई थी कि वन्यजीव एसओएस हर 6 महीने में दिए गए कार्य पर प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। यह भी सहमति हुई कि वन्यजीव एसओएस एक वर्ष के बाद पहली वंशावली पुस्तक और अन्य वंशावली पुस्तक प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर प्रस्तुत करेगा। हालाँकि, कार्य की प्रगति को असंतोषजनक पाया गया है और परियोजना को पूरा करने या ब्याज के साथ अनुदान की राशि वापस करने के लिए एक अल्टीमेटम जारी किया गया है। तदनुसार, वन्यजीव एसओएस ने दिनांक 31.03.2017 को कुल अनुदान राशि रु. 3,52,000/- वापस कर दी है। वन्यजीव एसओएस को मार्च, 2011 से अनुदान पर ब्याज जमा करने हेतु सूचित किया गया है।

4.6 चिड़ियाघरों की उन्नत नियोजन प्रक्रिया

4.6.1 मास्टर प्लान

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघरों के विस्तृत दीर्घकालिक भविष्य के विकास के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने में मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सहायता कर रहा है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को दिनांक 31.03.2017 तक 165 विस्तृत मास्टर प्लान प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पिछले 84 चिड़ियाघरों के मास्टर (ले-आउट) प्लान और 41 चिड़ियाघरों के मास्टर प्लान के लिए पहले से दी गई मंजूरी की समीक्षा कर रहा है, जिससे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को चिड़ियाघरों के बेहतर विकास लिए और अधिक जानकारी मिले।

चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 12 चिड़ियाघरों के मास्टर प्लान को मंजूरी दी है, जो नीचे दिए गए हैं: -

क्र.सं.	चिड़ियाघर का नाम
1	निसर्गकवि बहिना भाई चौधरी प्राणी संग्रहालय, पिंपरी चिंचवाड, महाराष्ट्र
2	लघु चिड़ियाघर, पीपली, हरियाणा
3	नालन्दा प्राणी विहार, राजगीर, बिहार
4	तेंदुआ सफारी, रोहा, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र
5	रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक, हरियाणा
6	नेहरू उद्यान सह लघु चिड़ियाघर, दानकग्रे, तुरा, मेघालय
7	उत्तरी बंगाल वन्यजीव उद्यान, सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल (संशोधित)
8	झारग्राम लघु चिड़ियाघर (जंगलमहल प्राणी उद्यान के रूप में नामकरण किया गया), पश्चिम बंगाल
9	इंद्रोदा प्रकृति उद्यान, गाँधीनगर, गुजरात
10	जवाहर लाल नेहरू जैविक उद्यान, बोकारो, झारखण्ड
11	जैविक उद्यान, चिड़ियाटापू, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
12	प्राणी उद्यान, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

4.6.2 मास्टर (ले-आउट) प्लान

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 31 मार्च 2017 तक निम्नलिखित 16 चिड़ियाघरों के मास्टर (ले-आउट) प्लान को स्वीकृति दे दी है:-

क्र.सं.	चिड़ियाघरों के नाम
1	सयाजीबाग चिड़ियाघर, वड़ोदरा, गुजरात
2	राज्य चिड़ियाघर उमद्रू, मेघालय (संशोधित)
3	नालन्दा प्राणी विहार, राजगीर, बिहार
4	नेहरू उद्यान सह लघु चिड़ियाघर, दानकग्रे, तुरा, मेघालय (संशोधित)
5	उत्तरी बंगाल वन्यजीव उद्यान, सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल (संशोधित)

क्र.सं.	चिड़ियाघरों के नाम
6	अदीना हिरण उद्यान, अदीना, मालदा, पश्चिम बंगाल
7	जंगल सफारी (नंदनवन चिड़ियाघर एवं सफारी), नया रायपुर, छत्तीसगढ़
8	जंगल महल प्राणी उद्यान, झारग्राम, पश्चिम बंगाल
9	माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर (संशोधन में प्रस्तावित बचाव केन्द्र शामिल है), राजस्थान
10	अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी, हल्द्वानी, उत्तराखंड
11	मरुधरा जैविक उद्यान, बीकानेर, राजस्थान
12	हाथी बचाव और पुनर्वास केन्द्र, हंसुर, मैसूरु, कर्नाटक
13	हाथी बचाव और पुनर्वास केन्द्र, पश्चिमी चंपारण जिला, बिहार
14	अभेदा जैविक उद्यान, कोटा, राजस्थान का संशोधित मास्टर (ले-आउट) प्लान
15	राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट, राजस्थान का संशोधित मास्टर (ले-आउट) प्लान
16	नंदनवन जंगल सफारी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ का संशोधित मास्टर (ले-आउट) प्लान

4.7 अन्य

4.7.1 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और रागी हितधारकों के लाभ के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वेबसाइट को नवीनीकृत जानकारी से पुनर्त्थान किया गया है और निम्नलिखित सूचनाएँ स्कैन की गई हैं, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं और सार्वजनिक डोमेन में रखी गई हैं:-

1. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देश।
2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के 67 प्रकाशन।
3. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना के बाद से सभी वार्षिक प्रतिवेदन।
4. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 1994 से भारतीय चिड़ियाघरों में लुप्तप्राय प्रजातियों के बाड़ों के 298 चित्रों का अनुमोदन।
5. चिड़ियाघरों के 114 अनुमोदित मास्टर (ले-आउट) प्लान।
6. चिड़ियाघरों के दीर्घकालीन विकास के लिए 43 अनुमोदित मास्टर प्लान।
7. सभी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के पिछले तीन मान्यता नवीनीकृत पत्रों के साथ अद्यतित सूचना।
8. वर्ष 2016-17 के लिए देश में सभी मान्यताप्राप्त चिड़ियाघरों की वार्षिक सूची।

4.7.2 सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भुगतान करने तथा प्राप्ति के लिए गैर-नकदी प्रणाली

सरकारी विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भुगतान करने और भुगतान प्राप्त करने के लिए गैर-नगदी माध्यम का उपयोग करने के संबंध में भारत सरकार के फैसले के अनुसार केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने तकनीकी समिति की 81^{वीं} बैठक में जोकि 24.01.2017 को हुई थी, सभी चिड़ियाघरों के संचालकों को भारत सरकार के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया।

4.7.3 स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा कई अच्छी परंपराओं की पहल की गई है जिनमें प्रमुखता से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सचिवालय के परिसर में स्वच्छता अभियान को चलाना तथा कागजी खपत को कम करना है।

4.7.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, देश में चिड़ियाघरों में लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने का मुद्दा सक्रिय रूप से उठाया गया और लंबितता 49 से घटकर 17 रह गई है। वित्तीय सहायता तथा कार्य निष्पादन का प्रतिवेदन देश के चिड़ियाघरों से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है।

4.8 भारतीय चिड़ियाघरों में वन्यजीवों की वार्षिक सूची (2016-17) का प्रकाशन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश के सभी मान्यताप्राप्त चिड़ियाघरों की वार्षिक सूची ऑनलाइन जमा करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया है। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक चिड़ियाघर को सूची जमा करने के लिए एक पासवर्ड प्रदान किया गया है। यह वर्ष 2016-17 से लागू किया जा चुका है।

5.0 मानव संसाधन विकास

5.1 प्रशिक्षण / कार्यशाला / संगोष्ठियाँ

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मानव संसाधन विकास के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदित और अयोजित किए गए:-

1. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने असम राज्य चिड़ियाघर -सह- वनस्पति उद्यान, गुवाहटी के साथ मिलकर भारत में चिड़ियाघरों के रोडमैप के लिए भारतीय चिड़ियाघरों का वार्षिक सम्मेलन 23 मई से 26 मई, 2016 के दौरान आयोजित कराया, जिसमें विभिन्न चिड़ियाघरों के 35 प्रतिभागियों को लाभ प्राप्त हुआ।
2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 2016-17 में वन्यजीव-रक्षकों को "रिकार्ड रखने और जानवरों को चिन्हित करने" के लिए पाँच, क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर, कमला नेहरू प्राणी उद्यान, कंकरिया, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर, तिरुवनंतपुरम, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना और सेपाहीजाला प्राणी उद्यान, अगरतला को वित्तीय सहायता दी है। प्रशिक्षण 27 फरवरी से 5 मार्च, 2017 तक कानपुर में आयोजित किया गया जिसमें 16 चिड़ियाघरों के 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऐसे ही प्रशिक्षण में अहमदाबाद में 17 से 23 जनवरी, 2017 में 6 चिड़ियाघरों के 20 प्रतिभागियों ने, तिरुवनंतपुरम प्रशिक्षण में 14 से 21 दिसम्बर, 2016 में 4 चिड़ियाघरों से 15 प्रतिभागियों ने, पटना प्रशिक्षण में 9 से 14 जनवरी, 2017 में 6 चिड़ियाघरों से 28 प्रतिभागियों ने, अगरतला प्रशिक्षण में 2 से 6 जनवरी, 2017 में 6 चिड़ियाघरों से 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
3. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, माल्सी हिरण उद्यान, देहरादून के साथ मिलकर 2016-17 में "जानवरों को कैद में पहचानने और उन्हें चिन्हित करने" के बारे में भारतीय चिड़ियाघरों का वार्षिक सम्मलेन देहरादून में आयोजित किया। विभिन्न चिड़ियाघरों के कुल 26 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और लाभ उठाया।
4. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने स्मिथसोनियन राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनुमोदित किया। वन्यजीवों को संभालना, पहचान / कान टैगिंग, वन्यजीव चिकित्सा कार्यशाला / एनेस्थेसिया और विभिन्न भारतीय चिड़ियाघरों में कार्यरत चिड़ियाघरों के पशु चिकित्सकों के लिए सामान्य जाँच और एक टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करना प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रस्तावित गतिविधियाँ हैं।
5. इस वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने स्पीसीज 360, संयुक्त राज्य अमेरिका (भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रजाति सूचना प्रणाली) के साथ मिलकर अपने सॉफ्टवेयर जूलॉजिकल इंफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (जिम्स) में आकड़ों के अद्यतन के लिए 6 सूत्री प्रशिक्षण का आयोजन भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची, पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान, दार्जीलिंग, कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर, अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुर, चेन्नई, बनेरघट्टा प्राणी उद्यान, बैंगलुरु, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई

दिल्ली के कार्यालय, गिद्ध प्रजनन संरक्षण केन्द्र, पिंजौर और पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त उच्च स्थलीय उद्यान, नैनीताल में आयोजित की गयी। इस प्रशिक्षण में पूरे देश से 29 चयनित चिड़ियाघरों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

5.2. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने स्मिथसोनियन राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वन्यजीव स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण पर केंद्रित संयुक्त अनुसंधान अध्ययनों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 17.03.2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। श्री डेनिस केली, निदेशक, स्मिथसोनियन राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कार्यक्रम शुरू करने और डॉ. ब्रांडी स्मिथ, वन्यजीव संग्रह के साथी निदेशक को भारतीय चिड़ियाघरों के वार्षिक सम्मेलन में "भारतीय चिड़ियाघरों के भविष्य के रोडमैप के विकास" पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया जो कि गुवाहटी, असम में 23-26 मई, 2016 को हुआ। श्री डेनिस केली और डॉ. ब्रांडी स्मिथ ने क्रमशः "चिड़ियाघरों और एक्वेरियम के भविष्य" तथा "चिड़ियाघरों के लिए सहकारी जनसंख्या प्रबंधन" पर भाषण दिया। उन्होंने असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहटी का दौरा भी किया और इस चिड़ियाघर में वन्यजीवों के प्रबंधन से संबंधित अपने विचार और सुझाव साझा किए।

इसके अलावा, विशेषज्ञों की एक टीम ने जिसमें डॉ. बुद्धन एस. पुखाजेन्थी, प्रजनन फिजियोलॉजिस्ट, प्रजातियों का अस्तित्व केंद्र, स्मिथसोनियन संरक्षण जीव-विज्ञान संस्थान, मि. स्टीवन सैरो, क्यूरेटर, डॉ. जेम्स स्टील, पशु-चिकित्सक एवं मिस. कली होल्डर, वैश्विक स्वास्थ्य फ़ैलो, स्मिथसोनियन राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने भारत में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली, लॉयन सफारी, इटावा, श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु, बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु और अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुरु, चेन्नई 14 से 23 जून, 2016 तक चिड़ियाघरों का दौरा किया, जिसका उद्देश्य वन्यजीव प्रबंधन और पशु-चिकित्सा सेवाओं का मूल्यांकन करने के साथ-साथ इन चिड़ियाघरों को विशिष्ट स्वास्थ्य और प्रबंधन मुद्दों पर तकनीकी सलाह प्रदान करना था।

दल अधिकांश चिड़ियाघरों में प्रदर्शनी स्थल के विस्तार और गुणवत्ता से प्रभावित था और मौजूदा पशु-चिकित्सा देखभाल के लिए उपलब्ध विशेषज्ञता पर्याप्त थी। उनके द्वारा देखे गए प्रत्येक चिड़ियाघर के साथ सिफारिशें / सलाह साझा की गई थीं। उनके सिफारिशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंता को कम करने के लिए सभी स्तनधारियों का रोग उजागर होने की स्थिति में, रेबीज टीकाकरण किया जाए, इससे रोग को रोकने में मदद मिलेगी।
2. बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ (शेर और टाईगर) वाले चिड़ियाघरों को अपने जानवरों को कौनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) के खिलाफ रिकॉम्बेन्टेक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वैक्सिन का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए।
3. चिड़ियाघरों को वन्यजीवों से जुड़े चिकित्सा संबंधी मुद्दों को संबोधित करने और उसको लागू करने के लिए एक व्यापक योजना विकसित करनी चाहिए।
4. सभी अगुलेटस संग्रह की आसान पहचान, प्रजनन प्रबंधन और चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए कान टैग किया जाना चाहिए।
5. अधिकांश प्रबंधित प्रजनन कार्यक्रमों में एक मजबूत प्रजनन (आनुवांशिक प्रबंधन) कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। यह ज्यादातर वन्यजीवों के लिए विकसित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अगुलेटस प्रजातियों के लिए। बैचलर झुंड की स्थापना एवं एक नर प्रत्येक प्रजनन मौसम तक सीमित करने की योजना की जोरदार सिफारिश की गई थी।
6. वन्यजीवों के प्रबंधन में सुधार के लिए वन्यजीवों के सुरक्षित संचालन के साथ-साथ अतिरिक्त होल्डिंग क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा जैसे ढलान प्रणाली, नियंत्रण उपकरण तैयार किया जाना चाहिए। यह जनसंख्या वृद्धि को धीमा, प्रजनन को नियंत्रित और चुनिंदा आबादी में वन्यजीवों के समग्र कल्याण में सुधार लाएगा।

7. अधिकतर चिड़ियाघरों में रात्रि विश्राम वाले क्षेत्र अपर्याप्त हैं। उन्होंने रात्रि विश्राम की जगह बढ़ाने, प्रकाश बढ़ाने (प्राकृतिक और कृत्रिम), प्रजनन सामग्री (लकड़ी के फलोर, पुआल) और संवर्धन वस्तुओं को उपलब्ध कराने की सलाह दी है।
8. प्रजातियों, इनके प्राकृतिक इतिहास, उनकी देख-भाल के अंतर्गत वर्तमान वन्यजीवों के बारे में सूचना को बाँटने हेतु वन्यजीव-रक्षकों को चिड़ियाघरों के आगन्तुकों के साथ बात-चीत हेतु एक उत्कृष्ट कार्यक्रम "वन्यजीव-रक्षक-वार्तालाप" विकसित करने का सुझाव दिया गया है।
9. भारत सरकार चिड़ियाघर पशु चिकित्सकों के लिए "चिड़ियाघर वन्यजीव चिकित्सक कैंडर" स्थापित करने पर विचार कर सकती है जिससे कि चिड़ियाघर के चिकित्सक (कई सालों) के लिए नौकरी में रहने में सक्षम हो सकें और वन्यजीव प्रजातियों का प्रबंधन करने का अनुभव हासिल कर सकें। राज्य पशुपालक विभागों से पशु चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति पर भर्ती की वर्तमान प्रणाली की वजह से चिड़ियाघरों में जानवरों की रख-रखाव में सुधार होने में संदेह है क्योंकि ऐसे पशु-चिकित्सा अधिकारियों में वन्यजीव चिकित्सा के अनुभव की कमी है।

सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने विशेषज्ञ समूह के साथ एक सत्र चर्चा की और निम्नलिखित क्षेत्रों को भविष्य की प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए उच्च प्राथमिकता के रूप में पहचान कराई गई :-

- (क) चिड़ियाघर पशु-चिकित्सा औषधि
- (ख) पशुओं की पहचान और प्रबंधन
- (ग) पशु संवर्धन
- (घ) पशु-रक्षक प्रशिक्षण
- (ङ) प्रजनन / आनुवंशिक प्रबंधन इत्यादि।

6.0 अनुसंधान एवं शिक्षण

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित सभी शोध परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है। यह पाया गया कि वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव उल्लिखित समय-रेखा के अनुसार कई शोध परियोजनाएँ संतोषजनक ढंग से प्रगति नहीं कर रहीं हैं। कई परियोजनाओं ने समझौता ज्ञापन में उल्लिखित समय-सीमा पूरी कर ली है, परन्तु परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। तदनुसार, सभी संबंधित प्राधिकरणों को सलाह दी गई थी कि वे अंतिम मसौदा प्रतिवेदन को समीक्षा और अनुमोदन के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पास भेजें अन्यथा जारी राशि वापस करें। इसके जवाब में कुछ चिड़ियाघरों / संगठनों / प्राधिकरणों ने मसौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जबकि एक चिड़ियाघर ने वित्तीय सहायता को वापिस लौटा दिया है। ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्थान / संगठन / चिड़ियाघर
1	भारतीय चिड़ियाघरों के लिए चिड़ियाघर नक्शों के सिद्धांतों पर दिशा-निर्देश विकसित करना	योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
2	बाड़ों में धौल जनन जीव-विज्ञान, प्रजनन व्यवहार और संवर्धन की जरूरत तथा वन्यजीव-शावक के विकास पर निष्कर्ष	इन्दिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम
3	राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चिड़ियाघरों में ब्रो एन्टलेर्ड डीयर के प्रजनन संरक्षण परियोजना का प्रस्ताव	अलीपुर प्राणी उद्यान, कोलकाला
4	अनुकूल ढंग से प्रजननशील वन्यजीवों की आबादी को नियंत्रित करने के उपाय पर शोध प्रस्ताव	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुर, चेन्नई

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्थान / संगठन / चिड़ियाघर
5	क्लाउडेड लेपर्ड के व्यवहार का अध्ययन	सेपाहीजाला चिड़ियाघर, अगरतला
6	कैप्टिव वन्यजीवों के लिए भोजन के पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए मानक प्रोटोकॉल	श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूरु
7	चिड़ियाघर शिक्षकों के लिए नियमावली का विकास करना	पर्यावरण शिक्षा केंद्र, अहमदाबाद
8	स्लॉथ बियर द्वारा बाड़े के उपयोग के पैटर्न पर अध्ययन और गैर-परम्परागत कैप्टिविटी में संवर्धक की आवश्यकता	वन्यजीव एस.ओ.एस., नई दिल्ली
9	आनुवंशिक बहुरूपता अध्ययन और सहायक प्रजनन के आधार पर लुप्तप्राय वन्यजीवों का संरक्षण	सीसीएमबी / लैकोन्स, हैदराबाद
10	लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए पशु वंशावली पुस्तक तैयार करना और पुस्तक की देख-रेख करना	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
11	लाल पांडा पोषण: एक एकीकृत दृष्टिकोण की ओर	पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग
12	चिर फीजेंट के लिए प्रजाति स्वास्थ्य लाभ और संरक्षण प्रजनन योजना	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, हिमाचल प्रदेश
13	भारतीय चिड़ियाघरों को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित सेवा और सलाह प्रदान करने तथा कैप्टिव वन्यजीवों को प्रभावित करने वाले रोगों के निदान के लिए राष्ट्रीय रेफरल केन्द्र का निर्माण	आई.वी.आर.आई. बरेली
14	साँपों के रख-रखाव तथा विष-रोधक की आवश्यकता पर अध्ययन करना	मद्रास मगरमच्छ बैंक ट्रस्ट, ममल्लापुरम्
15	भारतीय चिड़ियाघरों में रखे गए स्लॉथ बियर, हिमालयी काले भालू, भूरे भालू और मलायन सन भालू की वंशावली को तैयार और अद्यतित करना	वन्यजीव एस.ओ.एस., नई दिल्ली
16	कैप्टिव हिमालयी फीजेंट के बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जीव विज्ञान, प्रजनन व्यवहार और पक्षीशाला प्रथाओं पर अध्ययन	पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग

7.0 प्रकाशन

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित का प्रकाशन किया है-

1. "केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पच्चीस वर्ष" विषय पर वर्ष 2017 का कैलेंडर जिसे व्यापक रूप से सराहा गया है।
2. "2016-17 में भारतीय चिड़ियाघरों में वन्यजीवों की सूची" का वार्षिक प्रकाशन।
3. भारतीय चिड़ियाघर वार्षिक पुस्तक 2017, खण्ड 9 का प्रकाशन।

8.0 चिड़ियाघरों को वित्तीय अनुदान

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान के रूप में दस करोड़ रुपये (₹. 7.75 करोड़ + ₹. 2.25 करोड़ वेतन हेतु) प्राप्त किए, जिसमें उत्तर-पूर्वी भारत में चिड़ियाघरों के विकास के लिए निधि भी शामिल थी। सम्पूर्ण अनुदान को चिड़ियाघरों के विकास, संरक्षण प्रजनन, बचाव एवं पुनर्वास, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण तथा प्रचालनात्मक लागत के

शीर्षक के अंतर्गत व्यापक रूप से इसके उद्देश्यों एवं जरूरत को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था। हालाँकि, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों के गैर-संचालन तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान की सिफारिशें लागू नहीं होने के कारण "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत कुछ बचत हुई थी, जिसके लिए वित्तीय-वर्ष 2016-17 में बजटीय प्रावधान किए गए थे।

8.1 चिड़ियाघरों का सुधार

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार ₹6,87,04,000/- की राशि चिड़ियाघरों के सुधार हेतु जारी की है जिसमें बचाव केन्द्र का रख-रखाव, संरक्षण प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शामिल है:-

क्र. सं.	राज्य	चिड़ियाघर/संस्थान का नाम	प्रयोजन	अनुदान राशि (रूपये में)
1	आंध्र प्रदेश	इन्दिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम	बचाव एवं पुनर्वास	6,13,000
2	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर जैविक उद्यान, ईटानगर	प्रजनन संरक्षण	23,75,000
3	बिहार	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना	चिड़ियाघरों में सुधार	48,69,000
		संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना	चिड़ियाघरों में सुधार	6,41,000
		संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना	प्रजनन संरक्षण	2,32,67,000
		संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना	चिड़ियाघरों में सुधार	6,30,000
		संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	17,30,000
4	गुजरात	कमला नेहरू प्राणी उद्यान, कंकरिया, अहमदाबाद	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	3,20,000
5	हरियाणा	गिद्ध प्रजनन संरक्षण केन्द्र, पिंजौर	प्रजनन संरक्षण केन्द्र	9,50,000
6	कर्नाटक	बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बैंगलोर	चिड़ियाघरों में सुधार	20,00,000
7	केरल	राज्य संग्रहालय एवं चिड़ियाघर, थिश्शूर	चिड़ियाघरों में सुधार	3,00,000
		तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	4,48,000
8	मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इन्दौर	चिड़ियाघरों में सुधार	2,00,000
9	मिजोरम	एजवाल प्राणी उद्यान, एजवाल	चिड़ियाघरों में सुधार	25,57,000
		एजवाल प्राणी उद्यान, एजवाल	चिड़ियाघरों में सुधार	29,33,000
10	नागालैण्ड	नागालैण्ड प्राणी उद्यान, रंगापहाड़	चिड़ियाघरों में सुधार	48,00,000
		नागालैण्ड प्राणी उद्यान, रंगापहाड़	चिड़ियाघरों में सुधार	51,00,000
		नागालैण्ड प्राणी उद्यान, रंगापहाड़	प्रजनन संरक्षण	10,72,000
		नागालैण्ड प्राणी उद्यान, रंगापहाड़	प्रजनन संरक्षण	5,50,000
11	उड़ीसा	नंदनकानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर	अनुसंधान	2,00,000
12	राजस्थान	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	चिड़ियाघरों में सुधार	21,29,000
		नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	बचाव एवं पुनर्वास	4,61,000
		नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	बचाव एवं पुनर्वास	5,68,000
13	तैलगाना	नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	प्रजनन संरक्षण	13,90,000
		नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद	प्रजनन संरक्षण	13,92,000
		लैकोन्स, सी.सी.एम.बी., हैदराबाद	अनुसंधान	18,00,000
14	तमिलनाडु	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुर	बचाव एवं पुनर्वास	12,41,000
15	उत्तर प्रदेश	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	5,00,000
		कानपुर प्राणी उद्यान	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	3,20,000
16	उत्तराखण्ड	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	अनुसंधान	10,63,000
		मालसी हिरण उद्यान, देहरादून	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	24,85,000
कुल				6,87,04,000

8.2 बचाव केन्द्रों को अनुदान

भारत सरकार ने 14 अक्टूबर, 1998 को जारी अधिसूचना के माध्यम से भारतीय सर्कसों में शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और बंदर के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगाने का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति के अनुरूप इन जानवरों का सौहार्दपूर्ण रख-रखाव, आवास और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना था। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इन जानवरों के बचाव और पुनर्वास की जिम्मेदारी उठाई। उस समय सर्कसों से बचाए गए शेरों, बाघों, तेंदुओं, भालूओं और बानरों की संख्या क्रमशः 375, 96, 21, 37 और 20 थी। बचाए गए जानवरों के आवास और रख-रखाव की आवश्यकताओं और देश के मौजूदा चिड़ियाघरों में ऐसी सुविधा की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में जानवरों के लिए अलग सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, भारत सरकार इन जानवरों के लिए नामित बचाव सुविधाएँ तैयार करने पर सहमत हो गई। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बजट में वर्ष 1999-2000 में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी गई और अपेक्षित बजट आवंटित किया गया। चिड़ियाघरों के डिजाइन और बाड़ों को अंतिम रूप देने के बाद, बैंगलुरु, चेन्नई, तिरुपति, विशाखापत्तनम, भोपाल, दक्षिणी खैरबारी और जयपुर में इन जानवरों के लिए सात बचाव केन्द्र बनाए गए। इन बचाव केन्द्रों का दिन-प्रतिदिन संचालन और रख-रखाव पास के चिड़ियाघर में निहित है, जिनके परिसर में ऐसी सुविधा स्थापित की गई है। इन्हें वन्यजीवों के जीवन-काल देख-भाल सुविधा के रूप में सेवा करने की योजना के अंतर्गत बनाया गया था। तदनुसार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इन सात बचाव केन्द्रों के संचालन और रख-रखाव के लिए संबंधित चिड़ियाघरों को लगातार वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन जानवरों के भोजन, रख-रखाव और स्वास्थ्य देख-भाल के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इस संबंध में निर्धारित मानक और मानदंड का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

इन बचाव केन्द्रों की स्थापना के बाद से, प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण वन्यजीवों की मौत हो गई है और वर्तमान में सर्कसों से छुड़ाए गए शेरों और बाघों की संख्या क्रमशः 59 और 8 के स्तर पर आ गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने तीन बचाव केन्द्रों (कुल 6 में से) को निम्न ब्यौरों के अनुसार जानवरों के रख-रखाव, भोजन और दवा आदि के लिए रु. 28.83 लाख दिए:-

क्र.स.	नाम और बचाव केन्द्र के स्थान	राशि रुपये में
1.	इन्दिरा गाँधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम	6,13,000
2.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	10,29,000
3.	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलुरु, चेन्नई	12,41,000
	कुल	28,83,000

सर्कस के जानवरों के लिए शेष बचाव केन्द्रों के संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी के साथ अन्य चिड़ियाघरों को निधि नहीं प्रदान की गई थी क्योंकि वे उसी उद्देश्य के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जारी पिछले साल के अनुदान से बचत कर रहे थे।

9.0 वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लेखों की अंतिम लेखा परीक्षा, प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा वैज्ञानिक विभाग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा की गई है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय लेखा तथा तुलपन-पत्र अनुसूचियों के साथ अनुलग्नक-I और II में दिए गए हैं।

वित्तीय विवरण का प्रारूप
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 को तुलन-पत्र की स्थिति

(राशि ₹ में)

कोष/पूंजी कोष और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कोष/पूंजी कोष	1	2,11,50,235	55,65,576
रक्षित एवं अधिपेश	2	-	-
निर्धारित/अक्षय निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण और उधारी	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधारी	5	-	-
अस्थगित क्रेडिट देयता	6	-	-
चालू देयता और प्रावधान	7	6,10,265	7,19,816
योग		2,17,60,500	62,85,392
सम्पत्तियां			
स्थायी सम्पत्तियां	8	32,95,625	38,91,620
निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-
चालू सम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	1,84,64,875	23,93,772
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजन की सीमा में न हो)			
कुल		2,17,60,500	62,85,392
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों के संबंध में टिप्पणियाँ	25		

वित्तीय विवरण का प्रारूप
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार समाप्त होने वाले
वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

कोष/पूँजी कोष एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्रियों/सेवाओं से प्राप्त आय	12		
अनुदान/सब्सिडी	13	10,93,30,445	10,01,53,757
शुल्क/अंशदान	14	6,07,475	4,95,000
निवेशों से आय (निवेश पर आय) निधियों को स्थानान्तरित निधियों से निर्धारित अक्षम निधियों से	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	2,89,544	7,124
अन्य आय	18	5,776	7,450
कुल (क)		11,02,33,240	10,06,63,331
व्यय			
तैयार माल एवं प्रगतिगत कार्यों में वृद्धि/कमी	19	-	-
स्थापना व्यय	20	1,29,66,760	1,09,01,821
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,61,96,732	2,19,88,161
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	6,46,84,370	7,37,30,395
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में शुद्ध योग-अनुसूची 8)	8	8,00,719	10,43,226
कुल (ख)		9,46,48,581	10,76,63,603
व्यय के संबंध में अधिक आय (क-ख)		1,55,84,659	(70,00,272)
विशेष रक्षित निधि को स्थानांतरण (विवरण दें)		-	-
सामान्य रक्षित निधि को/से स्थानांतरित		-	-
कोष/पूँजी निधि के लिए बैलेस किया जा रही बचत आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणी		1,55,84,659	(70,00,272)
राशि/पूँजी निधि के लिए बैलेस किया जा रहा नुकसान		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणी	25		

वित्तीय विवरण का प्रारूप
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
वर्ष/अवधि की समाप्ति (31.03.2017) पर प्राप्तियां एव भुगतान

(राशि ₹ में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रारम्भिक शेष			1. व्यय		
(क) हस्तगत रोकड़	-	-	(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	1,34,17,398	1,04,09,380
अग्रदाय	15,000	15,000			
(ख) बैंक शेष	-	-	(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप)	28,60,050	1,41,08,276
(i) चालू खाते में	11,74,568	34,29,511			
(ii) जमा खाते में	-	-			
(iii) बचत खाते में	-	-			
2. प्राप्त अनुदान			2. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के प्रति किए गए भुगतान		
(क) भारत सरकार द्वारा	10,00,00,000	9,88,00,000	(निधि अथवा परियोजना के नाम को प्रत्येक परियोजना के संबंध में की गई अदायियों के ब्यौरों के साथ दर्शाया जाना चाहिए)	-	-
(ख) राज्य सरकार द्वारा	-	-			
(ग) अन्य स्रोतों से विवरण	-	-	(i) चिड़ियाघरों के लिए सहायता अनुदान	6,48,04,370	7,37,30,395
(पूँजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग से दर्शाया जाए)	-	-	(ii) चिड़ियाघरों के लिए रखरखाव एवं मूल्यांकन	7,66,766	7,20,693
			(iii) अनुसंधान परियोजना	35,63,000	34,10,000
			(iv) प्रशिक्षण कार्यशाला सम्मेलन	90,29,552	37,53,714
			(v) वाजा सम्मेलन पर खर्च	-	-
			(vi) शिक्षा और जागरूकता	-	-
			(vii) बंद चिड़ियाघरों के लिए अनुग्रही अदायगी	-	-
			(viii) वन्य प्राणियों को लाना ले जाना	-	-
III. निम्न से निवेशों			III. किए गए विनिवेश		

पर आय			और जमाएं		
चिन्हित/अक्षय निधि	-	-	(क) चिन्हित/अक्षय निधि से भिन्न	-	-
स्व निधियाँ (अन्य निवेश)	-	-	(ख) स्व निधियों से भिन्न (निवेश अन्य)	-	-
IV. प्राप्त ब्याज			IV. अचल सम्पत्तियों एवं कार्य शील पूंजी पर व्यय		
(क) बैंक जमा राशियों पर	2,89,544	-	(क) अचल सम्पत्तियों का क्रय	1,85,728	18,94,271
(क) ऋण अग्रिम आदि	-	-	(ख) कार्यशील पूंजी पर व्यय	-	-
V. अन्य आय विवरण			अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
(क) मान्यता को लागू करने से चिड़ियाघरों से प्राप्त फीस	6,07,475	510,000	(क) भारत सरकार को	-	-
(ख) आरटी आई के अधीन प्रार्थना पत्र से प्राप्त शुल्क	5,776	2,976	(ख) राज्य सरकार को	-	-
(ग) सेमीनार प्रोग्राम	-	-	(ग) निधियों के अन्य प्रदायकों को	-	-
VI. उधारी राशि	-	-	VI. वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
VII. कोई अथ प्राप्तियां (ब्यौर दें)			VII अन्य भुगतान (उल्लेख करें)		
(क) विविध प्राप्तियाँ	1,76,687	2,677	(क) टीडीएस का भुगतान	9,04,652	11,56,334
(ख) सीपीडब्ल्यूडी/चिड़ियाघर द्वारा वापसी सहायता अनुदान का अप्रयुक्त शेष	93,30,445	13,53,757	(ख) प्रतिभू जमा (जारी)	20,000	10,000
(ग) कार/स्कूटर अग्रिम पर ब्याज	-	7,124	(ग) समायोज्य राशि (अन्य विभागी द्वारा)	-	-
(घ) प्रतिभू जमा राशि	1,10,000	15,000	(घ) कर्मचारियों को अग्रिम	-	22,500
(ङ) अग्रिमो की वसुली	13,264	60,86,723	(ङ) अन्य विभागों को भुगतान	14,83,650	18,69,859
(च) टीडीएस की वसूली	9,04,652	11,56,334	(च) अग्रिम खरीद के लिए भुगतान	-	26,436
(छ) स्टाफ अग्रिम की वसूली	96,416	1,10,556	(छ) वन्य जीव सप्ताह समारोह के लिए भुगतान	-	6,42,091
(ज) लाइसेंस शुल्क	-	-	(ज) नवीकरण के लिए केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग के लिए भुगतान	-	10,53,750
(झ) सम्पत्तियों की बिक्री से आय	14,83,650	18,69,859	(झ) भुगतान और प्रीपेड खर्च	15,000	-
(ञ) सेल प्रोसिड आफ एसेसटस	-	5,600	(ञ) मान्यता के आवेदन के साथ चिड़ियाघर से	-	15,000

(ट) अव्ययित जीआईए	-	-	प्राप्त फीस वापसी (ट) आर.टी.आई फीस वापसी	-	500
(ठ) वापस प्राप्त छुट्टी वेतन एवं पेशान अशंदान	1,50,176	-			
(ड) रिसीप्ट फॉर वाईल्ल लाईफ विक समारोह	-	-			
- वाईल्ल लाईफ विक सेलिब्रेशन		6,47,650			
- रजि. फीस फार्र वाजा	-	-			
(ढ) एक्सपेंसिस रिमेंबरसेबल बाई एमओइएफ	-	-			
(ड) रिमीटेंस आफ्र सुपरएनुएशन एंड पीपी एफ कन्ट्रीबुशन आफ्र ड्रेपटेशनिष्ट	1,00,911	-	VIII. अंत शेष		
(ट) टेलिफोन सिक्योरिटी की वापसी	-	-	(क) हाथ में शेष		
			रकम	15,000	15,000
			(ख) बैंक शेष	-	-
			चालू खाते में	1,73,93,398	11,74,568
			जमा खाते में	-	-
			बचत खाते में	-	-
कुल	11,44,58,564	11,40,12,767	कुल	11,44,58,564	11,40,12,767

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 1 – आधारभूत निधि/पूंजी निधि

	(राशि ₹ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 1 – आधारभूत निधि/पूंजी निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	55,65,576	1,25,54,451
जोड़ें: आधारभूत निधि/सीजेडए निधि के संबंध में अंशदान	-	-
जोड़ें: आय एवं व्यय खाते में स्थानांतरित निवल आय का शेष	1,55,84,659	(70,00,272)
घटाए: शुद्ध व्यय का शेष	-	-
आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरित	-	11,397
वर्ष के अंत में शेष	2,11,50,235	55,65,576

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 2 – भण्डार और अधिशेष

(राशि ₹ में)

अनुसूची 2 – भण्डार और अधिशेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. संपत्ति कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पुर्नमूल्यांकन कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल		-		-

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 3 – बंदोबस्ती/निर्धारित निधि

(राशि ₹ में)

अनुसूची 3 – बंदोबस्ती/निर्धारित निधि	निधिवार को तोड़ने			कुल		
	निधि ww	निधि xx	निधि yy	निधि zz	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ) निधि के प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
ब) निधि के अलावा	-	-	-	-	-	-
क) दान	-	-	-	-	-	-
ख) निधि के निवेश से प्राप्त आय	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य वृद्धियां (विवरण दें)	-	-	-	-	-	-
कुल (अ+ब)	-	-	-	-	-	-
स) निधियों का उद्देश्यों की दिशा में उपयोग व्यय						
क) पूंजीगत व्यय						
– अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-
– अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
ख) राजस्व व्यय						
– वेतन मजदूरी और भत्ते	-	-	-	-	-	-
– किराया	-	-	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल (स)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (अ+ब+स)	-	-	-	-	-	-

टिप्पणियाँ:-

1. अनुदान से जुड़ी शर्तों के आधार पर, संबंधित मद का प्रकटीकरण किया जाएगा।
2. केन्द्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त योजनागत निधि को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाए एवं दूसरी निधियों के साथ न मिलाया जाए।

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधारी

(राशि ₹ में)

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधारी	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार				
3. वित्तीय संस्था		-		-
फ) सावधि ऋण				
– अर्जित और देय ब्याज	-		-	
4. बैंक	-	-	-	-
क) सावधि ऋण				
– अर्जित और देय ब्याज	-		-	
ख) अन्य ऋण (विवरण दें)	-	-	-	-
–अर्जित किए गए ब्याज और कारण				
5. अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	-		-	
6. डिबेंचर और बॉण्ड्स	-	-	-	-
7. अन्य (विवरण दें)				
योग		-		-

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारी

(राशि ₹ में)

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्था	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (विवरण दें)	-	-
5. अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	-	-
6. डिबेचर एण्ड बॉण्ड्स	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (विवरण दें)	-	-
योग	-	-

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 6 – अस्थगित जमा धन दायित्व

अनुसूची 6 – अस्थगित जमा धन दायित्व	(राशि ₹ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजी उपकरणों और अन्य सम्पत्तियों से बंधक स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
योग	-	-

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 के अनुसार तुलन-पत्र अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ. चालू देयताएं		
1. स्वीकृत बिल	-	-
2. विविध लेनदारः	-	-
क) लाभ के लिए	-	-
ख) अन्य (फॉर वाजा एक्सपेंसिव)	1,47,000	1,47,000
3. प्राप्त अग्रिम	-	-
प्रोदभूत ब्याज परंतु निम्न पर देय नहीं :	-	-
क) सुरक्षित ऋण/उधार राशियाँ	-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार राशियाँ	-	-
4. अन्य चालू देयताएं	-	-
क) अव्ययित सहायता अनुदान	-	-
ख) वापसी-योग्य प्रतिभूति	5,559	5,559
ग) सुरक्षा वापसी	1,60,000	70,000
कुल (क)	3,12,559	2,22,559
ब. प्रावधान		
1. कर-आदान हेतु	-	-
2. उपदान	-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-	-
क) अधिवर्षिता योजना के लिए अंशदान	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटी/दावे	-	-
6. अन्य (विवरण दें) – देय वेतन	-	1,99,551
7. देय टेलिफोन प्रभार	-	-
8. छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	2,97,706	2,97,706
9. टीए ऑपरेशनल पेयबल	-	-
10. देय अंकेक्षण शुल्क	-	-
11. देय फोटोकॉपी खर्चा	-	-
12. देय ओटीए	-	-
कुल (ब)	2,97,706	4,97,257
कुल (अ + ब)	6,10,265	7,19,816

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 के अनुसार तुलन-पत्र अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 8 – अचल सम्पत्तियां

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक			
	वर्ष के दौरान में परिवर्धनों (ख)		वर्ष के अंत में प्राप्त / लागत / मूल्य (क)	वर्ष के दौरान में परिवर्धनों पर (छ)	वर्ष के शुरु में परिसम्पत्तियों पर (घ)	मूल्यहास दर % (ङ)	वर्ष के अंत में लागत / मूल्य (क)	वर्ष के दौरान में परिवर्धनों पर (छ)	वर्ष के अंत में कुल योग (झ)	वर्ष के दौरान में कटौतियों पर (ज)	चालू वर्ष के अंत में (घ-ब-छ)	पिछले वर्ष के अंत तक
	04/16-09/16	10/16-03/17										
टैजीबल एसेस्टस												
कम्प्यूटर वाहन	2,46,326	58,250	1,27,896	17,475	1,47,796	60	4,32,472	76,738	2,42,009	-	1,90,463	2,46,326
फर्नीचर, जुड़नार	18,95,479	-	-	-	1,89,548	10	18,95,479	-	1,89,548	-	17,05,931	18,95,479
कार्यालय उपकरण	4,06,112	18,578	18,578	-	60,917	15	4,24,690	2,787	63,704	-	3,60,986	4,06,112
वाहन	3,04,678	-	-	-	45,702	15	3,04,678	-	45,702	-	2,58,976	3,04,678
इनटैजीबल एसेस्टस												
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	10,39,025	-	-	-	2,59,756	25	10,39,025	-	2,59,756	-	7,79,269	10,39,025
चालू वर्ष का योग	38,91,620	58,250	1,46,474	-	7,03,719		40,96,344	79,525	8,00,719	-	32,95,625	38,91,620
पिछला वर्ष	30,41,201	24,637	18,69,634	375	6,86,155		49,34,846	3,53,396	10,43,226	150	38,91,620	30,41,201

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती कोश से निवेश

(राशि ₹ में)

अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती कोश से निवेश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एण्ड बॉण्ड्स	-	-
5. सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम	-	-
6. अन्य (विवरण दें)	-	-
योग (अ)	-	-

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 10 – अन्य निवेश

(राशि ₹ में)

अनुसूची 10 – अन्य निवेश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एण्ड बॉण्ड्स	-	-
5. सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम	-	-
6. अन्य (विवरण दें)	-	-
योग (अ)	-	-

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)

	(राशि ₹ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू परिसम्पत्तियां		
1. वस्तु सूची:		
क) सामान एवं पुर्जे	-	-
ख) खुले औजार	-	-
ग) स्टॉक-इन-ट्रेड		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार:		
क) छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. हस्तगत नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	-	-
हस्तगत नकदी	-	-
अग्रदाय	15,000	15,000
4. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों में :		
- चालु खाते पर	1,73,93,398	11,74,568
- जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)	-	-
- बचत खाते पर	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में :		
- चालु खातों पर	-	-
- जमा खातों पर	-	-
- बचत खातों पर	-	-
डाक घर बचत खाता	-	-
कुल (क)	1,74,08,398	11,89,568

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां		
1. ऋण		
क) कर्मचारी	4,87,895	5,84,311
ख) अन्य सत्ताएं जो उस सत्ता के सदृश कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगे हैं	-	-
ग) अन्य (विवरण दें)	-	-
2. नकदी में वसूली अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम एवं नैतनराशियां	-	-
क) पूंजी खाते पर	-	-
ख) पूर्व अदायगियां		26,436
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति	-	-
एनआईएससीआई को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का अग्रिम भुगतान	-	-
योग्य व्यय सीपीडब्ल्यूडी/आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतान	5,05,127	5,05,127
पेट्रोल खाता	15,000	5,000
टेलिफोन खाता	7,450	15,570
3. अर्जित आय:	-	-
क) चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेशों पर	-	-
ख) निवेशों पर अन्य	-	-
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	-	-
घ) अन्य (आय जो प्राप्त न हो सकी, सहित)	-	-
4. प्राप्तियां दावे	-	-
स्टेशनरी का भण्डार	41,005	67,760
योग (ख)	10,56,477	12,04,204
योग (क+ख)	1,84,64,875	23,93,772

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

	(राशि ₹ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) रद्दी माल की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
क) श्रम एवं प्रसंस्करण शुल्क	-	-
ख) व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	-	-
ग) संस्था की कमीशन और दलाली	-	-
घ) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ङ) अन्य (विवरण दें)	-	-
योग	-	-

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची - 13 अनुदान/सब्सिडी

(राशि ₹ में)

(प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	10,00,00,000	9,88,00,000
2. राज्य सरकार (एस)	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याण संस्थाए	-	-
5. अंतराष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (विवरण दें) – ग्राण्ट फ्राम सार्क	-	-
योग	10,00,00,000	9,88,00,000
गत वर्ष का अप्रयुक्त शेष	-	-
2015-16 के दौरान चिड़ियाघरों द्वारा वापसी जी आर के अक्षय संतुलन	93,30,445	13,53,757
कुल योग	10,93,30,445	10,01,53,757

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची - 14 शुल्क/अंशदान

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क (वाजा रजिस्ट्रेशन फीस)	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (विवरण दें)	-	-
क) मान्यता/नवीकरण के लिए आवेदन के साथ चिड़ियाघरों से प्राप्त	6,07,475	4,95,000
कुल	6,07,475	4,95,000

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची - 15 निवेश से आय

(राशि ₹ में)

निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों के निवेश से आय (निधियों में हस्तांतरित)	निर्धारित कोष से निवेश		अन्य निवेश	
	चालू	पिछला	चालू	पिछला
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉण्ड्स/डिबेन्चर्स पर	-	-	-	-
2. लाभांश				
क) शेयर पर	-	-	-	-
ख) म्यूच्यूल फण्ड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विवरण दें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को हस्तांतरित	-	-	-	-

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची - 16 रॉयल्टी और प्रकाशन आदि से आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य (विवरण दें)	-	-
योग	-	-

वित्तीय विवरण
 (गैर-लाभकारी संगठन)
 इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
 31.03.2017 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
 अनुसूची - 17 सावधि जमा पर अर्जित ब्याज/बचत खातों/ऋण

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंक के साथ	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ	-	-
ग) संस्थान के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंक के साथ	2,89,544	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ	-	-
ग) डाकघर बचत खातों	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋण पर		
क) कर्मचारियों/स्टॉफ	-	7,124
ख) अन्य	-	-
4. देनदार और प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
योग	2,89,544	7,124

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची - 18 अन्य आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:	-	4,974
क) स्वामित्व वाली परिसम्पत्ति	-	-
ख) अनुदान से सृजित परिसम्पत्ति या निःशुल्क प्राप्त परिसम्पत्ति	-	-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क (आरटीआई)	5,776	2,476
4. विविध आय	-	-
योग	5,776	7,450

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची – 19 तैयार माल और प्रगति में काम के शेयर में वृद्धि / कमी

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम रहतियां		
– तैयार माल	-	-
– प्रगतिगत कार्य	-	-
ख) आरंभिक रहतियां		
– तैयार माल	-	-
– प्रगतिगत कार्य	-	-
निवल वृद्धि / कमी (क- ख)	-	-

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची - 20 संस्थापना व्यय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	1,15,96,847	1,00,17,915
ख) भत्ता और बोनस	82,896	27,632
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधियों में अंशदान (विवरण)		
अधिवार्षिता योजना	6,54,683	3,66,029
ड) कर्मचारी कल्याण व्यय	2,93,957	2,19,404
च) कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर व्यय एवं सेवांत हित लाभ	-	-
छ) अन्य (विवरण दें)	-	-
छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	3,38,377	2,70,841
योग	1,29,66,760	1,09,01,821

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची - 21 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) क्रय (स्टेशनरी)	2,28,064	1,79,588
ख) वाहन एवं दुलाई	22,866	37,897
ग) मरम्मत एवं रखरखाव	36,310	63,667
घ) वाहन संचालन व्यय	1,54,384	1,40,709
ड.) वाहन रखरखाव	1,56,759	58,118
च) टिकट, टेलिफोन एवं संचार व्यय	1,66,904	2,08,114
छ) मुद्रण, प्रकाशन और पत्रिकाएं	1,11,002	6,56,901
ज) यात्रा व्यय	13,89,790	17,01,394
झ) वैधानिक व्यय	20,114	39,885
ञ) आतिथ्य व्यय	97,141	51,505
ट) विज्ञापन एवं प्रचार	54,071	1,30,939
ठ) अंकेक्षण शुल्क	-	-
ड) अन्य (विवरण दें)	-	-
बैंक व्यय	1,082	-
अन्य व्यय	44,057	4,71,551
सदस्यता शुल्क	3,68,664	2,78,931
किराया	-	52,16,748
अनुपयोगी सम्पत्तियों की बिक्री पर घाटा	-	-
(त) इमारत मरम्मत एवं रखरखाव	-	48,67,807
योग (I)	28,51,208	1,41,03,754
II विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान		
प्रशिक्षण, कार्यशाला और सम्मेलनों पर व्यय	90,29,552	37,53,714
वाजा कान्फ्रेंस पर व्यय	-	-
अनुसंधान परियोजनाओं पर व्यय	35,63,000	34,10,000
चिड़ियाघर की निगरानी और मूल्यांकन	7,52,972	7,20,693
बंद मोबाइल चिड़ियाघरों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान	-	-
पशुओं के परिवहन	-	-
योग (II)	1,33,45,524	78,84,407
III मंत्रालय को वापसी योग्य जीआईए की अव्ययित शेष राशि	-	-
योग (I+II+III)	1,61,96,732	2,19,88,161

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची – 22 अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि ₹ में)

अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान		
विभिन्न चिड़ियाघरों को जारी अनुदान	6,46,84,370.00	7,37,30,395.00
मंत्रालय को वापसी योग्य अप्रयुक्त सहायता अनुदान	-	-
ख संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
योग	6,46,84,370.00	7,37,30,395.00

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची - 23 ऋणों पर ब्याज/निर्धारित ऋण

(राशि ₹ में)

ऋणों पर ब्याज/निर्धारित ऋण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) निर्धारित ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
ग) अन्य (विवरण दें)	-	-
योग	-	-

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2017 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची – 24 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण का आधार

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के तहत तैयार किया जाता है और ये सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण पद्धतियों के अनुसार हैं।

2. अचल सम्पत्तियां

अचल सम्पत्तियां अधिग्रहण की लागत पर निश्चित होती हैं, जिनमें उनके अधिग्रहण घटा संचित मूल्यह्रास से संबंधित भाड़ा, शुल्क एवं कर शामिल हैं।

3. मूल्यह्रास

अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास आय कर अधिनियम के उपलब्ध वसु पर ह्रासित मूल्य पर प्रदान किया जाता है। सितम्बर के बाद अर्जित परिसम्पत्तियों का सम्पत्ति हेतु निर्धारित मूल्यह्रास के आधे दर पर अवमूल्यन किया गया है।

4. सामान्य

लेखाकरण नीतियों का अन्यथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण पद्धतियों के सामंजस्य में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
अनुसूची – 25 आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणियां/करण
31.03.2017 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

1. आकस्मिक देयताएं

सत्ता के प्रति दावों को ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता – शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) ।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

शेष संविदाओं के अनुमानित मूल्य प्रदान नहीं किए गए हैं (अग्रिमों का शुद्ध) – शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य)।

3. चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाए गए समग्र राशि के बराबर वसूल पर मूल्य है।

4. पूर्ववर्ती वर्ष के लिए तदनुरूपी आंकड़ों को जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

5. अनुसूची 1 से 25 को 31 मार्च, 2017 के अनुसार तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते को तुलन पत्र के अभिन्न अंग के रूप में सलग्न किया गया है।

6. विभिन्न चिड़ियाघरों को जारी की गई राशि को उस वर्ष के लिए, जिस वर्ष में इसे जारी किया गया था, व्यय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

7. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, मैसर्स अमेजन डॉट काम को 4 हार्ड डिस्क ड्राइव और 4 लेनोवो पॉवर बैंक कार्यालय के उपयोग हेतु रु. 26,436/- का भुगतान किया गया जो कि अप्रैल, 2016 (2016-17) में प्राप्त हुआ था, इसलिए इस वित्तीय वर्ष में लेखांकन समायोजन किया गया। "व्यय के लिए अग्रिम" और रु. 144/- की अतिरिक्त राशि बैंक में जमा करा दी गई थी।

8. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान रु. 1,20,000/- की अनुदान राशि शिशूर चिड़ियाघर, तिरुवनंतपुरम (केरल) को मास्टर प्लान तैयार करने के लिए जारी की गई थी। यह वित्तीय सहायता डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जारी की गई थी जिसे सुधार / पुनर्वैधीकरण के लिए चिड़ियाघर द्वारा वापस कर दिया गया था, लेकिन कार्य-सम्पादन में वह डिमांड ड्राफ्ट खो गया और रु. 3.00 लाख की अनुदान राशि का एक नया डिमांड ड्राफ्ट चिड़ियाघर के "विकास कार्य" के लिए समायोजित करके जारी किया गया।

9. इस वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 1,00,000/- की सुरक्षा धन राशि मैसर्स अलंकित लिमिटेड द्वारा बाहरी स्रोत (ठेके) द्वारा मानव संसाधन दिनांक 08.02.2017 से 31.01.2018 के दौरान भर्ती के लिए प्राप्त हुआ। पी.ओ.एल. की पूर्ति करने के लिए सेवा प्रदाता के बदल जाने के कारण, मैसर्स जिमखाना सर्विस स्टेशन की रु. 5,000/- की सुरक्षा जमा राशि को अंतिम भुगतान बिलों में समायोजित किया गया और रु. 15,000/- की राशि मैसर्स ऑटोमोटिक्स, नई दिल्ली को मौजूदा आस्तियों से "व्यय के लिए अग्रिम" के रूप में भुगतान करके क्रेडिट आधार पर सेवाएँ प्राप्त की गईं।

10. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में वेतन के लिए वर्ष 2016-17 में रु. 225.00 लाख का बजट आवंटित किया गया था। हालाँकि पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों का परिचालन नहीं होने तथा 7वें सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर (सी.पी.सी.) की अनुशंसा के लागू नहीं होने के कारण वर्ष के दौरान दिए गए अनुदान के भुगतान में से रु. 134.17 लाख ही उपयोग किए जा सके हैं।

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली

सं.प्र.नि.वै.वि./प.ले./एस.ए.आर./CZA, New Delhi/2017-18/639-641

दिनांक: 20.09.2017

सेवा में,

Dr. D.N.Singh,
Member Secretary,
Central Zoo Authority (MoEF&CC),
B-1 Wing, 6th Floor,
Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003.

192/2017 (हि.वि.)
25/9/17
F/O
25/9/17
25/9/17

विषय: वर्ष 2016-17 के लिए Central Zoo Authority, New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मुझे वर्ष 2016-17 के लिए Central Zoo Authority, New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेजोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन व मैनेजमेंट लेटर

भवदीय,
निदेशक (पर्या.ले.)
25/9/17

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लेखों के संबंध में अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संबद्ध तुलन-पत्र की वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38जी के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के तहत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की। ये वित्तीय विवरण केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
 2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, बेहतर लेखाकरण पद्धतियों में अनुरूपता, लेखाकरण मानक और प्रकटीकरण मानक आदि के संबंध में लेखाकरण प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियां निहित हैं। कानून, नियम एवं विनियमन (उपयुक्तता एवं नियमितता) और दक्षता-सह-कार्य-निष्पादन पहलुओं आदि के साथ कंपनियों के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, को अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सी ए जी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया जाता है।
 3. हमने अपनी लेखा परीक्षा सामान्य तौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम वित्तीय विवरणों को भौतिक गलतियों से मुक्त कर रहे हैं या नहीं, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षा की योजना बनाते हैं। एक लेखा-परीक्षा में जाँच, एक परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में मात्रा और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। एक लेखा-परीक्षा में प्रबंधन के द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करना शामिल है, साथ ही साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का विकास करना शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
 4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:-
 - (i) हमने समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी बेहतर जानकारी एवं विश्वास से हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
 - (ii) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत फॉर्मेट में तैयार किया गया है।
 - (iii) हमारी राय में, उचित लेखा बहियों और अन्य सगत रिकॉर्डों का, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा रख-रखाव किया गया है। जैसा कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38जी के तहत अपेक्षित है, जहां तक कि यह ऐसी बहियों की हमारी जांच से भी प्रकट होता है।
 - (iv) हम आगे सूचित करते हैं कि:-
 - (क) तुलन पत्र
- अचल सम्पत्ति**
- (i) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर आयकर अधिनियम के अनुसार 60 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत की दर से रु. 10,39,025/- मूल्यहास का आरोप लगाया। इस प्रकार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर कम मूल्यहास चार्ज करने की वजह से, 31.03.2017 को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अचल संपत्तियों का मूल्य रु. 3.64 लाख (रु. 623415 - रु. 259756) रह गया है।
 - (ii) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अचल संपत्ति में कार्यालय के उपकरण की 3 वस्तुओं

और फर्नीचर और फिक्सर की 4 चीजें शामिल हैं जिनका 31.03.2017 तक हिसित मूल्य रु. 0.36 लाख था, इन संपत्तियों को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से दिल्ली चिड़ियाघर में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के खातों में इन परिसंपत्तियों को शामिल करने के कारण, अचल संपत्ति इस राशि द्वारा अतिरिजित था।

वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान

- (i) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने शीर्षक वेतन के अंतर्गत रु. 225 लाख में से रु. 94.84 लाख का उपयोग नहीं कर सका। अनुप्रयुक्त अनुदान की कोई भी वापसी केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मंत्रालय को नहीं की। खातों में अनुप्रयुक्त अनुदान के लिए देयता खातों में प्रावधान नहीं किया गया।
- (ii) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मार्च, 2017 के महीने में 'वेतन' और साथ ही 'लेखा-परीक्षा शुल्क' को अनुसूची - 7 में चालू देयताएँ और प्रावधानों में नहीं दर्शाया गया।

(ख) आय और व्यय खाता

- (i) अनुसूची-13 अनुदान/सब्सिडी के अंतर्गत रु. 1093.30 लाख की राशि आय के रूप में "आय और व्यय खातो" में दर्शाया गया था। हालाँकि, इस राशि में रु. 93.30 लाख शामिल हैं, जो 2016-17 के दौरान विभिन्न चिड़ियाघरों द्वारा अनुदान सहायता की शेष राशि वापसी की थी जो मंत्रालय द्वारा पुनर्वैधित नहीं किए गए थे। अतः आय और व्यय खाते में उपरोक्त विसंगति के परिणामस्वरूप रु. 93.30 लाख की आय दर्शायी गई थी।
- (ii) 26.03.2017 से 31.03.2017 की अवधि के लिए उपार्जित त्याग राशि रु. 15,152/- को 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खातों में आय के रूप में नहीं लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप आय में कमी हुई थी।

(ग) सामान्य

- (i) दिनांक 31.03.2017 तक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा रु. 80,651/- की राशि के 12 चेक जारी किए गए थे, जो समय पर जमा न करने से अमान्य हो गए थे, 31.06.2017 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा रु. 678 की राशि का डिमांड ड्राफ्ट बैंक द्वारा प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं किया गया। इन चेकों को रोकड़बही में पुनः दर्शाना चाहिए और डिमांड ड्राफ्ट को तुरंत बैंक खाते के साथ मिलान करना चाहिए।
- (ii) एएस-15 के अनुसार अपेक्षित खातों में सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(घ) सहायता अनुदान

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को रु. 1,000 लाख सहायता अनुदान के रूप में, रु. 6.13 लाख शुल्क / सदस्यता / अन्य आय के रूप में, रु. 2.90 लाख बैंक ब्याज के रूप में और रु. 93.30 लाख पिछले वर्षों के अनुप्रयुक्त शेष राशि प्राप्त हुई। कुल रु. 1,102.33 लाख की राशि में से, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने रु. 946.49 लाख खर्च किए, रु. 155.84 लाख की अनुप्रयुक्त राशि शेष रह गई। इसके अलावा रु. 94.84 लाख की राशि 'वेतन' हेतु मंत्रालय को वापस किया जाना है।

(ङ) प्रबंधन पत्र

जिन त्रुटियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, वह सदस्य सचिव के संज्ञान में प्रबन्धन पत्र द्वारा उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी किया गया है।

- (i) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और आय एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुसार हैं।
- (ii) हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार

लेखाकरण नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण तथा ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों के अधीन एवं इस रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले, सामान्य तौर पर भारत में स्वीकृत लेखाकरण नियमों की अनुरूपता में एक सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

- a. जहाँ तक यह 31 मार्च, 2017 के अनुसार केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के प्रशासन कार्यों के तुलनपत्र से संबंधित है, और
- b. जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अतिरिक्त राशियों के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

Place: New Delhi

For and on behalf of the C&AG of India

Date: 20-08-2017

Principal Director of Audit (SD)

अनुलग्नक - I

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: -
 - (i) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा खण्ड नहीं है।
 - (ii) लेखा एवं वेतन कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2010-12 के दौरान आन्तरिक लेखा परीक्षा किया गया था जिसमें कि दिनांक 31.03.2017 तक 24 पैरा शेष थे।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कुछ सुधार की संभावना है, जैसा कि निम्नलिखित त्रुटियां जानकारी में आई थीं:-
 - (i) नकदी की औचक जाँच नहीं की गई थी।
 - (ii) 2016-17 में शासी निकाय की बैठक नहीं हुई थी।
 - (iii) दीर्घकालिक अग्रिमों की वसूली की निगरानी के लिए लेजर औ ब्रॉड शीट्स को नहीं बनाया गया था।
 - (iv) 2006-07 से 2014-15 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में जुलाई, 2017 तक 17 चिड़ियाघरों से रू. 4.22 करोड़ राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रतीक्षारत थे।
 - (v) इम्प्रेस्ट रजिस्टर को व्यवस्थित नहीं बनाया गया था।
 - (vi) महत्वपूर्ण रजिस्टर को ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया था।
 - (vii) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 37 चिड़ियाघरों को अनुदान जारी किया था परन्तु किसी भी चिड़ियाघर ने परिसंपत्ति के ब्यौरे को प्रस्तुत नहीं किया।
3. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

अचल और उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन दिनांक 31.03.2017 तक संचालित किया जा चुका है।
4. परिसंपत्ति के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन संचालित किया जा चुका है।
5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता:

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमित था।

Director (EA)



केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

बी - 1 विंग, छठा तल,

पं० दीनदयाल अंत्योदय भवन,

सीजीओ परिसर, नई दिल्ली - 110 003

फोन: +91 11 24367846, 51, 52 फैक्स: + 91 11 24367849

वेबसाइट: cza.nic.in; ई-मेल: cza@nic.in